

Plutus IAS

UPSC & State PCS

मासिक संकलन

करंट अफेयर्स मासिक

September 2026

अद्यतन तिथि 30 August 2026 · 31 लेख

इस अंक में

- ▶ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क्रीमी लेयर मानदंड: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
- ▶ पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण लेबलिंग: उपभोक्ता अधिकार और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ
- ▶ परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रियाएँ
- ▶ मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणियाँ: मतदाता सूची और चुनावी सुधार
- ▶ संसदीय सत्र का स्थगन और सत्रावसान: संवैधानिक प्रावधान और निहितार्थ
- ▶ खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026: भारत के खनिज क्षेत्र में सुधार
- ▶ अधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन

plutusias.com



Plutus IAS

Plutus IAS — प्रमुख कोर्स

जहाँ चाह, वहाँ राह

- जीएस फाउंडेशन कोर्स
- एनसीईआरटी आधारित कोर्स
- प्री कम मेन्स (जीएस)
- प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़
- मेन्स टेस्ट सीरीज़
- ऑफलाइन / ऑनलाइन / हाइब्रिड बैच

प्रवेश जारी · plutusias.com/current-affairs

संपादकीय

यह मासिक करंट अफेयर्स संकलन इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह सिविल सेवा परीक्षा के सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषयों को समग्र रूप से कवर करे और अभ्यर्थियों को परीक्षा-तैयार बनाए। यह एक द्वितीयक स्रोत है; समाचार-पत्र आपका प्राथमिक स्रोत बना रहेगा।

इस अंक को इस तरह तैयार किया गया है कि यह स्टैटिक और डायनामिक घटनाओं के अंतर्संबंधों को समझने और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आपकी वैचारिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करे।

— आन्या, आपकी करंट अफेयर्स टीचर, Plutus IAS

इस अंक में

Polity

1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क्रीमी लेयर मानदंड: 8. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप 14 2026: प्रमुख प्रावधान और आर्थिक प्रभाव
2. पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण लेबलिंग: 47
उपभोक्ता अधिकार और पर्यावरण संबंधी 9. बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026: बैंकिंग चिंताएँ 19 प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिकीकरण का एक कदम 51
3. परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक 10. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) प्रावधान एवं प्रक्रियाएँ 21 अधिनियम, 1996: कार्यान्वयन की समीक्षा सूची और चुनावी सुधार 28 और सशक्तिकरण की आवश्यकता 56
5. संसदीय सत्र का स्थगन और सत्रावसान: 11. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की संवैधानिक प्रावधान और निहितार्थ) 32 रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की ओर 60
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) 12. न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम: संशोधन विधेयक, 2026: भारत के खनिज क्षेत्र में सुधार 37 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण 65
7. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक 13. भारत में रोज़गार बाज़ार और परीक्षा में स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का धांधली: संवैधानिक वादे और सामाजिक संतुलन 42 अनुबंध पर प्रभाव 70
14. अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा में वृद्धि: सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय 75

Polity & Governance

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच 80
2. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ और सरकारी पहलें 84

Economy

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति: RBI बुलेटिन – अगस्त 2026 का विश्लेषण 90

Economy/Governance

1. अमेरिकी वीज़ा नीति में बदलाव: 'पब्लिक चार्ज' नियम और इसके निहितार्थ 96
2. सेमीकंडक्टर पर संभावित अमेरिकी शुल्क: भारत पर प्रभाव और वैश्विक व्यापार चुनौतियाँ 101
3. वीज़ा नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन: अमेरिका के प्रस्तावित वीज़ा निरस्तीकरण का प्रभाव 106

International Relations

1. प्रधानमंत्री का SCO शिखर सम्मेलन दौरा: भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क की दृष्टि 111
2. चीन-अमेरिका संबंध: चुनौतियाँ और शिखर सम्मेलन का महत्व 116
3. भारत में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन: वैश्विक सहयोग और भारत की भूमिका 120
4. भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध: एक रणनीतिक साझेदारी का विश्लेषण 125

Environment

1. आंध्र प्रदेश के किसान: जलवायु अनिश्चितता और वित्तीय जोखिम के बीच चुनौतियाँ 130
2. असम में बाढ़ का बदलता स्वरूप: कम वर्षा के बावजूद गंभीर बाढ़ और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 134

Science & Technology

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश: तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत 140
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और लोकतांत्रिक सौदेबाजी पर इसका प्रभाव 144

General Studies

1. सीमा शुल्क: व्यापार सुगमीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव 150

आगामी परीक्षा कैलेंडर

अद्यतन तिथि 2026-08-30. तिथियाँ सांकेतिक हैं — कृपया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि करें।

UPSC Civil Services (CSE) 2026

Written result out

अधिसूचना	Feb 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed
प्रारंभिक	24 May 2026 (result 15 Jun)	मुख्य	21-30 Aug 2026 (DAF-I closed 28 Jun)
साक्षात्कार	Nov-Dec 2026 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC Civil Services (CSE) 2027

Notification Jan 2027

अधिसूचना	13 Jan 2027	आवेदन अंतिम तिथि	2 Feb 2027
प्रारंभिक	23 May 2027	मुख्य	from 20 Aug 2027 (5 days)
साक्षात्कार	2028 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC Indian Forest Service (IFoS) 2027

Notification Jan 2027

अधिसूचना	13 Jan 2027 (with CSE)	आवेदन अंतिम तिथि	2 Feb 2027
प्रारंभिक	23 May 2027 (CSE paper)	मुख्य	from 21 Nov 2027
साक्षात्कार	2028 (tent.)	शुल्क	Rs 100 (Gen); SC/ST/PwBD/Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC CDS (I) 2027

Admit card expected soon

अधिसूचना 2 Dec 2026

आवेदन अंतिम तिथि 22 Dec 2026

प्रारंभिक 11 Apr 2027 (written)

साक्षात्कार

SSB interview after result

शुल्क Rs 200 (Gen); SC/ST/
Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC NDA & NA (I) 2027

Prelims exam date announced

अधिसूचना 2 Dec 2026

आवेदन अंतिम तिथि 22 Dec 2026

प्रारंभिक 11 Apr 2027 (written)

साक्षात्कार

SSB interview after result

शुल्क Rs 100 (Gen); SC/ST
exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPSC CAPF (AC) 2027

PST/PET shortlist released

अधिसूचना ~Feb 2027 (exact date
TBA)

आवेदन अंतिम तिथि Mar-Apr 2027 (tent.)

प्रारंभिक 4 Jul 2027 (written, tent.)

साक्षात्कार

Physical + Interview after
result

शुल्क Rs 200 (Gen); SC/ST/
Women exempt

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UPPSC PCS 2026 (Uttar Pradesh)**Mains exam completed**

अधिसूचना 25 Jun 2026 (out)

आवेदन अंतिम तिथि 3 Aug 2026 (extended;
closed — correction till 10
Aug)

प्रारंभिक 6 Dec 2026

मुख्य To be announced

साक्षात्कार After Mains

शुल्क Rs 125 (Gen/OBC); Rs 65
(SC/ST) — verify on
notification

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

MPPSC State Service 2026 (Madhya Pradesh)**Interview document submission notice**

अधिसूचना 31 Dec 2025 (155 posts)

आवेदन अंतिम तिथि 9 Feb 2026 (closed)

प्रारंभिक 26 Apr 2026 (done)

मुख्य 7-12 Sep 2026

साक्षात्कार After Mains

शुल्क Rs 250 (Gen); Rs 150 (MP
reserved)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

RPSC RAS 2026 (Rajasthan)**Prelims rescheduled to 6 Dec 2026**अधिसूचना 27 May 2026 (out, 607
posts)

आवेदन अंतिम तिथि 3 Jul 2026 (closed)

प्रारंभिक 6 Dec 2026 (revised from
29 Nov 2026)

मुख्य 1-2 May 2027

साक्षात्कार After Mains

शुल्क Rs 600 (Gen); Rs 400 (Raj.
reserved)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

BPSC CCE (Bihar) — 71st & 72nd cycles

अधिसूचना	72nd: 5 May 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	72nd: closed 31 May 2026
प्रारंभिक	72nd: POSTPONED (was 26 Jul 2026) — new date awaited	मुख्य	71st: held 25-30 Apr 2026 (result expected Aug-Sep); 72nd: after Prelims
साक्षात्कार	71st: Oct-Nov 2026 (tent., after Mains result)	शुल्क	Rs 600 (Gen); Rs 150 (Bihar SC/ST/PwD/ Women)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

HPSC HCS (Haryana Civil Services) 2026**Interview scheduled**

अधिसूचना	30 Jan 2026 (out)	आवेदन अंतिम तिथि	Closed
प्रारंभिक	26 Apr 2026 (done)	मुख्य	27-29 Jun 2026 (done)
साक्षात्कार	Aug-Sep 2026 (tent.)	शुल्क	Check official (hpsc.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

UKPSC PCS / Upper Subordinate 2026 (Uttarakhand)

अधिसूचना	Short notice out (63 posts); detailed advt shortly	आवेदन अंतिम तिथि	Check official
प्रारंभिक	First fortnight of Oct 2026 (proposed)	मुख्य	27-30 Apr 2026 (earlier cycle, done); TBA for new cycle
साक्षात्कार	After Mains	शुल्क	Check official (psc.uk.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

WBPSB WBCS 2026 (West Bengal)

अधिसूचना 14 Nov 2025 (out)

प्रारंभिक 14 Jun 2026 (done)

साक्षात्कार After Mains

Interview schedule released for WBCS 2023
आवेदन अंतिम तिथि Closed (17 Dec 2025)

मुख्य

Nov-Dec 2026 (expected)

शुल्क

Check official
(psc.wb.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

PPSC PCS 2026 (Punjab)**Reopening of application window**

अधिसूचना Out (322 posts)

प्रारंभिक Done (earlier in cycle)

साक्षात्कार After Mains result (~Oct 2026)

आवेदन अंतिम तिथि Closed

मुख्य

1-10 Apr 2026 (done)

शुल्क

Check official
(ppsc.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

HPPSC HAS/HPAS 2026 (Himachal Pradesh)

अधिसूचना Awaited (~Aug 2026 expected, unconfirmed)

प्रारंभिक Nov 2026 (tent., unconfirmed)

साक्षात्कार TBA

आवेदन अंतिम तिथि

मुख्य

शुल्क

Personality Test result out
TBA

TBA

Check official
(hppsc.hp.gov.in)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

RBI Grade B 2026

Phase 2 result out

अधिसूचना 29 Apr 2026 (out)

आवेदन अंतिम तिथि 20 May 2026 (closed)

प्रारंभिक Phase I: 13-14 Jun 2026
(done; result 25 Jun)

मुख्य Phase II: 25-26 Jul 2026
(done; result expected
Aug-Sep)

साक्षात्कार After Phase II result

शुल्क Rs 850 (Gen/OBC/EWS);
Rs 100 (SC/ST/PwBD)

आधिकारिक अधिसूचना · पाठ्यक्रम व तैयारी

CLAT 2027 (UG & PG)

आधिकारिक अधिसूचना

AILET 2027 (NLU Delhi)

आधिकारिक अधिसूचना

AIBE (All India Bar Examination)

Registration open

आधिकारिक अधिसूचना

Bihar Civil Judge (PCS-J)

PET postponed

आधिकारिक अधिसूचना

UP PCS-J (Civil Judge)

आधिकारिक अधिसूचना

CUET UG 2027

Admit Card Released

आधिकारिक अधिसूचना

CBSE Class 12 Board 2027

Supplementary result out

आधिकारिक अधिसूचना

NABARD Grade A 2026

आधिकारिक अधिसूचना

Plutus IAS

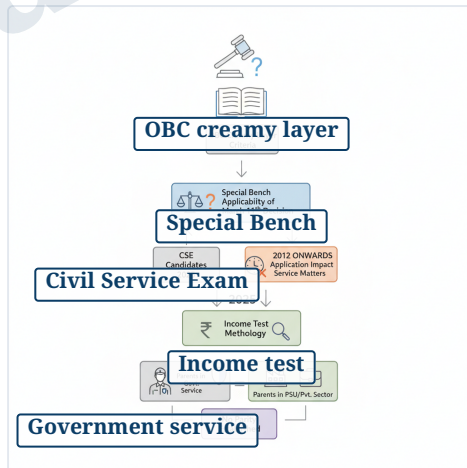
Polity



इस खंड की झलक: Polity

POLITY

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क्रीमी लेयर मानदंड: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप



Exploded view: OBC creamy-layer criteria

GS Paper II — भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था

📌 **OBC क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, और सर्वोच्च न्यायालय इस मानदंड के अनुप्रयोग पर स्पष्टीकरण दे रहा है...**

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के उम्मीदवारों पर OBC क्रीमी लेयर

प्रीलिम्स पॉइंटर

इस फैसले में न्यायालय ने उन OBC उम्मीदवारों के संबंध में आय परीक्षण के तरीके पर विचार किया था जिनके माता-पिता ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनके लिए सरकारी सेवा में पदों के साथ कोई समानता स्थापित नहीं की गई है।

मानदंडों के संबंध में 11 मार्च के उसके फैसले की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि इस फैसले को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से 2012 से चले आ रहे सेवा मामलों पर 'व्यापक प्रभाव' पड़ेगा और इससे 'सभी श्रेणियों, जिसमें अनारक्षित श्रेणी भी शामिल है', प्रभावित होंगी।

मुख्य बिंदु

- इस फैसले में न्यायालय ने उन OBC उम्मीदवारों के संबंध में आय परीक्षण के तरीके पर विचार किया था जिनके माता-पिता ऐसे पदों पर कार्यरत हैं जिनके लिए सरकारी सेवा में पदों के साथ कोई समानता स्थापित नहीं की गई है।
- न्यायालय ने पाया था कि आय परीक्षण को इस तरह से लागू किया जा रहा था जिससे सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के बच्चों और PSU या निजी रोजगार में कार्यरत लोगों के बच्चों के बीच 'शत्रुतापूर्ण भेदभाव' पैदा हो रहा था।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सर्वोच्च न्यायालय से CSE-2025 के 958 उम्मीदवारों के लिए सेवा आवंटन की अनुमति देने का निर्देश मांगा है, जो 11 मार्च के फैसले से पहले लागू OBC क्रीमी लेयर निर्धारण के आधार पर अनुशंसित किए गए थे।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि फैसले के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन से उन उम्मीदवारों से दावों या विवादों की बाढ़ आ सकती है जिन्हें OBC गैर-क्रीमी लेयर का दर्जा नहीं दिया गया था, साथ ही उन लोगों से भी जिन्होंने भर्ती, परीक्षाओं, प्रवेश और अन्य चयन प्रक्रियाओं के समय ऐसे प्रमाणन की मांग नहीं की थी।

- केंद्र ने यह भी कहा है कि निर्णय को लागू करने का 'व्यापक प्रभाव' वरिष्ठता परिदृश्य को 'नाटकीय रूप से' बदल देगा, जिससे अनुभव और प्रदर्शन के माध्यम से वरिष्ठता प्राप्त करने वाले अधिकारियों के बीच 'असंतोष' पैदा हो सकता है।

OBC क्रीमी लेयर क्या है?

- 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के भीतर उन व्यक्तियों को बाहर करने के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हैं और जिन्हें आरक्षण लाभों की आवश्यकता नहीं है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचितों तक पहुँचे, न कि उन लोगों तक जो पहले से ही समाज में एक निश्चित स्तर की समृद्धि और स्थिति प्राप्त कर चुके हैं।
- क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए मानदंड विभिन्न कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें माता-पिता की आय, संपत्ति और संवैधानिक पदों पर उनकी स्थिति शामिल है।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए, क्रीमी लेयर का निर्धारण अक्सर उनके माता-पिता के पद और रैंक के आधार पर किया जाता है, न कि केवल उनकी आय के आधार पर।
- गैर-सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए, आय परीक्षण एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है, और यही वह बिंदु था जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्टीकरण दिया था।
- क्रीमी लेयर की अवधारणा को इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होना चाहिए, न कि उन लोगों के लिए जो 'क्रीमी लेयर' का हिस्सा हैं।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
क्रीमी लेयर मानदंड	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण के लाभों से बाहर करने हेतु।

Feature	Significance
सर्वोच्च न्यायालय का 11 मार्च का निर्णय (रोहित नाथन मामला)	OBC क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए आय/धन परीक्षण की व्याख्या को स्पष्ट किया।
सेवा आवंटन	सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के सफल उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में पदस्थापित करने की प्रक्रिया।
पूर्वव्यापी कार्यान्वयन	किसी निर्णय या कानून को पिछली तिथि से लागू करना, जिससे पुराने मामलों पर भी प्रभाव पड़े।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)	केंद्र सरकार के कार्मिक, प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेंशन संबंधी मामलों के लिए नोडल एजेंसी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

OBC क्रीमी लेयर · अनुच्छेद 16(4) · आरक्षण नीति · सामाजिक न्याय · समानता का अधिकार · केंद्र सरकार की याचिका

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 'क्रीमी लेयर' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। 2. 'क्रीमी लेयर' में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके माता-पिता की आय या सामाजिक स्थिति एक निश्चित सीमा से ऊपर होती है। 3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत को बरकरार रखा था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 गलत है। 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामले (1992) में पेश किया था। कथन 2 सही है। 'क्रीमी लेयर' का अर्थ है OBC वर्ग के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से

उन्नत वर्ग जो आरक्षण के लाभों से बाहर रखे जाते हैं। कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में OBC आरक्षण को वैध ठहराते हुए 'क्रीमी लेयर' के सिद्धांत को लागू करने का निर्देश दिया था।

Q2. अभिकथन (A): केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से OBC क्रीमी लेयर मानदंड पर 11 मार्च के फैसले के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन को रोकने का अनुरोध किया है। कारण (R): सरकार का तर्क है कि पूर्वव्यापी कार्यान्वयन से 2012 से पहले के सेवा मामलों पर 'व्यापक प्रभाव' पड़ेगा और वरिष्ठता परिदृश्य में भारी बदलाव आएगा।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के लिए 11 मार्च के फैसले के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा है। कारण (R) भी सही है। सरकार ने तर्क दिया है कि पूर्वव्यापी कार्यान्वयन से 2012 से कई सेवा मामलों पर 'व्यापक प्रभाव' पड़ेगा और यह 'सभी श्रेणियों, जिसमें अनारक्षित श्रेणी भी शामिल है', को प्रभावित करेगा, जिससे वरिष्ठता में बदलाव आएगा। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

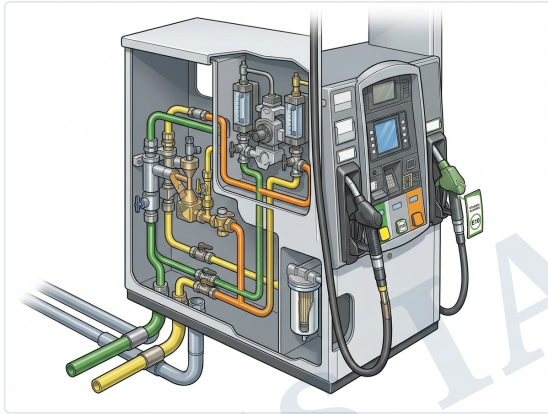
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा के पीछे के औचित्य का परीक्षण कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों के आलोक में, इस मानदंड के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को संक्षेप में परिभाषित करें और इसके उद्देश्य को बताएं।
2. क्रीमी लेयर के पीछे का औचित्य (लगभग 80-100 शब्द): • सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत: आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचितों तक पहुंचाना। • 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामला (1992): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस ...

POLITY

पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण लेबलिंग: उपभोक्ता अधिकार और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ



3D cutaway: Petrol pump ethanol labels

GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था • GS Paper III — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

31 अगस्त को एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को पेट्रोल पंपों पर प्रत्येक डिस्पेंसिंग नोजल पर पेट्रोल में

एथेनॉल के सटीक प्रतिशत का खुलासा करने वाले अनिवार्य और समान लेबल लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ईंधन चालान पर भी एथेनॉल प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाने और वाहनों की एथेनॉल अनुकूलता (compatibility) का सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करने की मांग की गई है।

याद रखें

सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के अनिवार्य और समान लेबलिंग, वाहन संगतता डेटाबेस तथा उपभोक्ता सूचना प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर केंद्रित है, जो उपभोक्ता अधिकारों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित...

मुख्य बिंदु

- भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 2025 तक E20 (पेट्रोल में 20% एथेनॉल) का लक्ष्य शामिल है।
- पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से कुछ पुराने वाहनों या विशेष इंजन प्रकारों में संगतता (compatibility) संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे इंजन को नुकसान, ईंधन दक्षता में कमी या रखरखाव लागत में वृद्धि हो सकती है।
- वर्तमान में, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण के प्रतिशत के बारे में उपभोक्ताओं को स्पष्ट और अनिवार्य जानकारी प्रदान करने के लिए कोई व्यापक और समान प्रोटोकॉल नहीं है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सूचित होने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें बेचे जा रहे ईंधन की संरचना भी शामिल है।

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम क्या है?

- एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है।
- एथेनॉल एक जैव-ईंधन है जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और चावल जैसे कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है।
- इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।
- यह कार्यक्रम किसानों को उनके अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करता है।
- भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पहले 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था।
- एथेनॉल मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, हालांकि इसके जल उपयोग और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चिंताएं भी हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
ईंधन में इथेनॉल प्रतिशत का प्रकटीकरण	उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे ईंधन की सटीक संरचना जानने का अधिकार प्रदान करता है।
पेट्रोल पंप पर लेबलिंग	प्रत्येक डिस्पेंसिंग नोजल पर स्पष्ट और समान लेबलिंग से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
ईंधन चालान पर इथेनॉल प्रतिशत	खरीद के प्रमाण के रूप में चालान पर जानकारी होने से उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।
वाहन-वार अनुकूलता डेटाबेस	विभिन्न इथेनॉल मिश्रणों के लिए वाहनों की उपयुक्तता के बारे में सार्वजनिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे संभावित नुकसान से बचा जा सके।
स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन	E20 के वास्तविक दुनिया के प्रभावों का मूल्यांकन करने और चिंताओं को दूर करने के लिए निष्पक्ष विश्लेषण सुनिश्चित करता है।

भारत के लिए महत्व

- यह याचिका उपभोक्ताओं के जानने के अधिकार (Right to Know) पर केंद्रित है, विशेष रूप से जब ईंधन की गुणवत्ता और संरचना उनके वाहनों के प्रदर्शन और दीर्घायु को प्रभावित कर सकती है।
- पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य और समान लेबलिंग तथा चालान पर इथेनॉल प्रतिशत का उल्लेख ईंधन खरीद में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
- इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
- याचिका में इथेनॉल उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय पदचिह्न (Environmental Footprint) और खाद्य सुरक्षा (Food Security) चिंताओं पर रिपोर्ट की मांग की गई है, जो कार्यक्रम के समग्र प्रभाव के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- विभिन्न इथेनॉल मिश्रणों के साथ वाहनों की अनुकूलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि असंगत ईंधन के उपयोग से इंजन को नुकसान, ईंधन दक्षता में कमी और रखरखाव लागत में वृद्धि हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम · E20 ईंधन · सर्वोच्च न्यायालय · उपभोक्ता संरक्षण · जैव ईंधन · राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का लक्ष्य रखा है। 2. एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से होता है, लेकिन मक्का और चावल जैसे अन्य कृषि उत्पादों से भी किया जा सकता है। 3. एथेनॉल सम्मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन में कमी और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1: भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का लक्ष्य रखा है, जो सही है। कथन 2: एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से होता है, लेकिन मक्का और चावल जैसे अन्य कृषि उत्पादों से भी किया जा सकता है, जो सही है। कथन 3: एथेनॉल सम्मिश्रण से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और कच्चे तेल के आयात पर होने वाले व्यय में कमी के कारण विदेशी मुद्रा की बचत होती है, जो सही है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Biofuel Policy) 2018 का/के मुख्य उद्देश्य है/हैं? 1. ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना। 2. किसानों की आय बढ़ाना। 3. आयात पर निर्भरता कम करना। 4. पर्यावरण प्रदूषण कम करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण प्रदूषण कम करना है। यह किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्रदान करती है, लेकिन 'किसानों की आय बढ़ाना' सीधे तौर पर मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है, बल्कि यह एक परिणाम है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता जागरूकता और वाहन अनुकूलता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme • EBP) का संक्षिप्त परिचय और इसके लक्ष्यों (जैसे E20 लक्ष्य) का उल्लेख।
2. कार्यक्रम के उद्देश्य: ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी, किसानों की आय में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे बिंदुओं पर चर्चा।
3. चुनौतियाँ: खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभाव ...

POLITY

POLITY परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रियाएँ



माइंड मैप: परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान एवं प्रक्रिया

GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, संसद और राज्य विधायिकाएँ • GS Paper I — भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका

परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है, जो जनसंख्या के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है और भारत में महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक शर्त है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान के बाद संसद के पुनः आहूत होने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। उनके बयान को महिला आरक्षण कानून के शीघ्र कार्यान्वयन से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए परिसीमन (Delimitation) एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस संदर्भ में, विपक्ष ने सरकार से परिसीमन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
- महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) के प्रावधानों के अनुसार, यह कानून जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा।
- संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन इसका अभी तक सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया गया है, जिससे विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।
- विपक्ष का मानना है कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए और महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनावों से वर्तमान सीटों की संख्या के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

परिसीमन क्या है?

- परिसीमन का अर्थ है किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (लोकसभा या विधानसभा) की सीमाओं का निर्धारण करना।
- इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है, ताकि सभी नागरिकों के वोट का मूल्य समान हो।
- भारत में परिसीमन का कार्य एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय, परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 (संसद के लिए) और अनुच्छेद 170 (राज्य विधानसभाओं के लिए) के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान है।
- परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- भारत में अब तक चार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है: 1952, 1963, 1973 और 2002 में।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
संसद का पुनः आहूत होना	यह दर्शाता है कि सरकार किसी महत्वपूर्ण विधायी कार्य को पूरा करने के लिए सत्र को फिर से बुलाने पर विचार कर रही है, भले ही मानसून सत्र सत्रावसान (prorogued) न हुआ हो।
महिला आरक्षण कानून	प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता और कानून को शीघ्र लागू करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।
परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill)	महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों में संभावित वृद्धि और राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव पर चर्चा को केंद्र में लाता है।
विपक्ष की मांग	परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक और प्रस्तावों के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय की मांग, विधायी प्रक्रिया में समावेशिता और विचार-विमर्श के महत्व को दर्शाती है।
लोकसभा सीटों की संख्या	

विशेषता	महत्व
	वर्तमान 543 सीटों को 25 वर्षों के लिए स्थिर रखने और महिला आरक्षण को मौजूदा सीटों पर लागू करने की विपक्ष की मांग, संघीय संतुलन और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

भारत के लिए महत्व

- यह घटनाक्रम महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, जो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- संसद के पुनः आहूत होने की संभावना यह संकेत देती है कि सरकार महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही इसके लिए विशेष सत्र बुलाना पड़े।
- परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष की सर्वदलीय बैठक की मांग, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आम सहमति और परामर्श के महत्व को उजागर करती है।
- यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और प्रतिनिधित्व के भविष्य पर बहस को जन्म दे सकता है, खासकर जब लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की बात आती है।
- महिला आरक्षण कानून का कार्यान्वयन लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज मजबूत होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

परिसीमन आयोग · अनुच्छेद 82 · अनुच्छेद 170 · महिला आरक्षण विधेयक · लोकसभा सीटें · संसदीय सत्र · स्थगन · सत्रावसान

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है। 2. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3. 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001

ने लोकसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करने का अधिकार देता है। कथन 2 सही है। परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि परिसीमन प्रक्रिया में देरी से बचा जा सके। कथन 3 सही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया है, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को दंडित न किया जा सके।

Q2. परिसीमन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कथन II: परिसीमन आयोग के आदेशों को संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

1. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
2. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
3. कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
4. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

उत्तर: कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है। — कथन I सही है। परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 82)। कथन II गलत है। परिसीमन आयोग के आदेशों को संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है; वे अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

परिसीमन प्रक्रिया क्या है और भारत में इसके संवैधानिक आधार क्या हैं? महिला आरक्षण कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में परिसीमन के संभावित प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:

1. परिसीमन की परिभाषा: निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम। अनुच्छेद 170: राज्य विधानसभाओं के लिए भी परिसीमन। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952, 1962, 1972, 2002।
3. परिसीमन आयोग: गठन: राष्ट्रपति द्वारा। सदस्य: सर्वोच्च न्यायालय के ...

POLITY

मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणियाँ: मतदाता सूची और चुनावी सुधार



माइंड मैप: मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणियाँ: मतदाता सूची और चुनावी

GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय

यह खबर चर्चा में क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ने हाल ही में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने

याद रखें

भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, और वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक ही मतदाता सूची का उपयोग संभव नहीं है।

स्पष्ट किया कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधानसभा और पंचायत चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग संभव नहीं है, और मतदाता पहचान पत्र को आधार से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने 'एक देश-एक चुनाव' और नोटा (NOTA) से संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

मुख्य बिंदु

- भारत में चुनाव तीन मुख्य स्तरों पर होते हैं: संसद (लोकसभा), राज्य विधानसभाएँ और स्थानीय निकाय (पंचायतें और नगर निगम)।
- लोकसभा और विधानसभा चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) करता है, जबकि पंचायतों और नगर निगमों के चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commissions – SECs) करते हैं।
- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया।
- मतदाता सूची में हर साल लगभग 8-10 प्रतिशत नाम बदलते हैं, जिसमें मृत्यु, नए मतदाता और निवास स्थान परिवर्तन शामिल हैं।
- आधार कार्ड को नागरिकता या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिकता आवश्यक है।
- 'एक देश-एक चुनाव' का विचार लंबे समय से चर्चा में है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।

भारत में चुनावी प्रक्रिया और संबंधित मुद्दे

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI): यह एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 324) जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- राज्य निर्वाचन आयोग (SECs): संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत स्थापित, ये निकाय पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का संचालन करते हैं।
- मतदाता सूची: ECI और SECs दोनों अपनी-अपनी मतदाता सूचियाँ तैयार करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, 73वें संविधान संशोधन में बदलाव किए बिना एक एकीकृत मतदाता सूची संभव नहीं है।

- आधार-वोटर आईडी लिंकिंग: मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि आधार नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, जो मतदाता बनने की अनिवार्य शर्तें हैं।
- एक देश-एक चुनाव: यह एक नीतिगत निर्णय है जिसे संसद द्वारा लिया जाना है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव है ताकि संसाधनों की बचत हो और बार-बार होने वाले चुनावों से बचा जा सके।
- नोटा (NOTA): यह मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प देता है। यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो भी चुनाव परिणाम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
एकल मतदाता सूची	लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग करने की संभावना पर चर्चा।
राज्य निर्वाचन आयोग	संविधान के 73वें संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए अलग मतदाता सूची तैयार करने हेतु स्थापित।
आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंक	मुख्य चुनाव आयुक्त ने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की संभावना को खारिज किया, क्योंकि आधार नागरिकता या आयु का प्रमाण नहीं है।
मतदाता सूची में परिवर्तन	देश में प्रतिवर्ष लगभग 8-10% (8 करोड़) मतदाताओं के नाम बदलते हैं, जिसमें मृत्यु, नए मतदाता और निवास स्थान परिवर्तन शामिल हैं।
NOTA का महत्व	एक छात्र द्वारा NOTA (इनमें से कोई नहीं) को अधिक वोट मिलने की स्थिति पर प्रश्न, जिस पर आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है।

भारत के लिए महत्व

- यह चर्चा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार और दक्षता लाने के प्रयासों को दर्शाती है, विशेषकर मतदाता सूची के प्रबंधन में।
- मतदाताओं की पहचान और सूची की सटीकता सुनिश्चित करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है।

- राज्य निर्वाचन आयोगों की भूमिका और उनकी स्वायत्तता भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) को मजबूत करती है, जहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- एकल मतदाता सूची के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता संघीय सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करती है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने और मतदाता साक्षरता (Voter Literacy) बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

भारत निर्वाचन आयोग · राज्य निर्वाचन आयोग · मतदाता सूची · आधार कार्ड · वोटर आईडी · 73वां संविधान संशोधन · एक देश-एक चुनाव · नोटा (NOTA)

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम के चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग करने का पक्षधर है। 2. संविधान के 73वें संशोधन के तहत, सभी राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं। 3. मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि आधार जन्मतिथि, पता या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वर्तमान कानून के तहत एक ही मतदाता सूची से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराना संभव नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने राज्य निर्वाचन आयोगों को पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। कथन 3 सही है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि, पता या नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे मतदाता पहचान पत्र से नहीं जोड़ा जा सकता।

Q2. भारत में मतदाता सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. देश में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 प्रतिशत मतदाता नाम मतदाता सूची में बदलते हैं। 2. मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए नागरिक ELC-2 और ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। सही उत्तर का चयन करें:

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — दोनों कथन सही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 प्रतिशत मतदाता नाम मतदाता सूची में बदलते हैं, और नागरिक मतदाता सूची व वोटर कार्ड की गड़बड़ी दूर करने के लिए ELC-2 (मतदाता साक्षरता क्लब) और ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

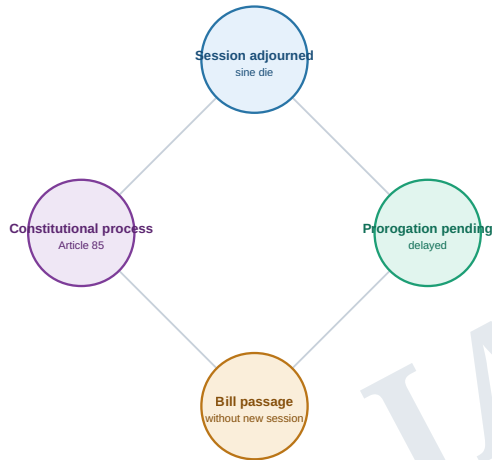
भारत में एक 'एकल मतदाता सूची' की अवधारणा पर चर्चा करें, और विभिन्न स्तरों के चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियों के कारणों तथा इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: 'एकल मतदाता सूची' की अवधारणा को परिभाषित करें और इसके महत्व को बताएं।
2. वर्तमान स्थिति: भारत में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूचियों की मौजूदा व्यवस्था का उल्लेख करें।
3. कारणों का विश्लेषण: क. संवैधानिक प्रावधान: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत राज्य ...

POLITY

संसदीय सत्र का स्थगन और सत्रावसान: संवैधानिक प्रावधान और निहितार्थ

Parliament session closure process

Parliament session closure process

GS Paper II — भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। • GS Paper II — कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और कार्य; सरकार के मंत्रालय एवं विभाग; प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। • GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले विषय।

📌 **स्थगन (Adjournment)** सदन की बैठक को समाप्त करता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान (Prorogation) पूरे सत्र को समाप्त करता है और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (sine die) किए जाने के दस दिन बाद भी इसका औपचारिक

सत्रावसान (prorogation) नहीं किया गया है। आमतौर पर, सत्र के स्थगन के कुछ दिनों के भीतर ही

प्रिलिम्स पॉइंटर

भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। इस असामान्य देरी से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार बिना नया सत्र बुलाए किसी महत्वपूर्ण विधेयक, विशेषकर महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, को पारित कराना चाहती है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर संसद के सत्र को आहूत (convene) करते हैं और उसका सत्रावसान करते हैं।
- पिछला बजट सत्र 18 अप्रैल को समाप्त हुआ था और इसका सत्रावसान 20 अप्रैल को किया गया था, जो सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप था।
- महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, और इसे 2029 के संसदीय चुनावों से पहले पारित करने की अटकलें हैं।
- विपक्षी दलों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों से, को जनसंख्या-आधारित परिसीमन (delimitation) से लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या कम होने की चिंता है।
- सरकार ने इस चिंता को दूर करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

संसदीय सत्र का स्थगन और सत्रावसान क्या है?

- संसदीय सत्र का स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) द्वारा किया जाता है। यह सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए (जैसे कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए) या अनिश्चित काल के लिए (sine die) निलंबित करता है।
- स्थगन केवल सदन की बैठक को समाप्त करता है, सत्र को नहीं। सदन की बैठकें फिर से शुरू हो सकती हैं जब तक कि सत्र का सत्रावसान न हो जाए।
- अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die) का अर्थ है कि सदन को बिना किसी निश्चित तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी किसी भी समय सदन को फिर से बुला सकते हैं।

- सत्रावसान (Prorogation) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह न केवल सदन की बैठक को समाप्त करता है, बल्कि पूरे सत्र को समाप्त कर देता है। सत्रावसान के बाद, सदन को फिर से बैठक करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक नया सत्र आहूत करना पड़ता है।
- सत्रावसान के परिणामस्वरूप, सदन के समक्ष लंबित सभी नोटिस (विधेयकों को छोड़कर) समाप्त हो जाते हैं। हालाँकि, विधेयक सत्रावसान से समाप्त नहीं होते हैं।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्रावसान करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
संसद सत्र का सत्रावसान (Prorogation)	यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और सत्र की औपचारिक समाप्ति को दर्शाता है। इसके बाद ही नए सत्र की शुरुआत हो सकती है।
स्थगन (Adjournment) बनाम सत्रावसान	स्थगन सदन के कामकाज को अस्थायी रूप से निलंबित करता है, जबकि सत्रावसान सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करता है।
अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die)	यह सदन को बिना किसी निश्चित तिथि के स्थगित करना है, लेकिन सत्र का औपचारिक अंत सत्रावसान से ही होता है।
महिला आरक्षण विधेयक	यह विधेयक महिलाओं के लिए विधायी निकायों में सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है, जो लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
परिसीमन (Delimitation)	यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जो जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर सीटों के आवंटन को प्रभावित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

संसद का स्थगन (Adjournment) · सत्रावसान (Prorogation) · संसद सत्र · लोकसभा अध्यक्ष · राज्यसभा सभापति · राष्ट्रपति की शक्तियाँ · संवैधानिक संशोधन विधेयक · महिला आरक्षण विधेयक

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 2. 'स्थगन' (Adjournment) का अर्थ है सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना, जबकि 'सत्रावसान' (Prorogation) का अर्थ है सत्र को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित करना। 3. लोकसभा का स्थगन केवल अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करते हैं। कथन 2 गलत है। 'स्थगन' का अर्थ है सदन की बैठक को एक निश्चित या अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना, जबकि 'सत्रावसान' का अर्थ है सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना। कथन 3 सही है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

Q2. अभिकथन (A): संसद के एक सत्र का स्थगन 'अनिश्चित काल के लिए' (sine die) किया जा सकता है, लेकिन इसका सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। कारण (R): राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर संसद के सत्रों का सत्रावसान करते हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि 'अनिश्चित काल के लिए स्थगन' का अर्थ है कि सदन को अगली बैठक की तारीख बताए बिना स्थगित कर दिया गया है, और इसका सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण (R) भी सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही सत्रों का सत्रावसान करते हैं।

कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से आवश्यक है, भले ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

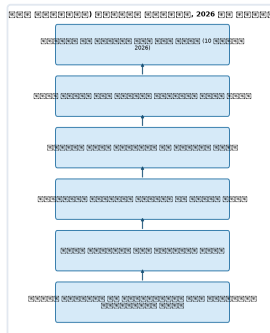
संसद के सत्रों के स्थगन (Adjournment) और सत्रावसान (Prorogation) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, इस प्रक्रिया में देरी के संभावित संवैधानिक और राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: संसद के सत्रों के स्थगन और सत्रावसान की संक्षिप्त परिभाषा दें।
- स्थगन (Adjournment): कौन करता है: पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा सभापति)। उद्देश्य: सदन की बैठक को एक निश्चित अवधि (घंटे, दिन) या अनिश्चित काल (sine die) के लिए निलंबित करना। प्रभाव: विधेयक और अन्य लंबित कार्य प्रभावित ...

POLITY

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026: भारत के खनिज क्षेत्र में सुधार



खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की प्रमुख प्रक्रिया

GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय • GS Paper III — अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि

यह खबर चर्चा में क्यों?

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को 10 अगस्त, 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक भारत के खनिज क्षेत्र के

याद रखें

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य नीलामी-आधारित आवंटन, अपतटीय अन्वेषण, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और एक खनिज सुरक्षा कोष की शुरुआत करके भारत के खनिज क्षेत्र को बदलना है, ताकि सतत, पारदर्शी और...

शासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, खनिज आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाना, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना और महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है, जो भारत के औद्योगीकरण, ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं हैं। यह विधेयक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों, महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) ने छह दशकों से अधिक समय तक भारत के खनिज क्षेत्र को नियंत्रित किया है, लेकिन इसके प्रावधान बदलते आर्थिक, पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के सामने पुराने हो गए हैं।
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 ने खनिज शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी, जिसमें नीलामी-आधारित आवंटन, स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि और पर्यावरणीय तथा सामाजिक विचारों का एकीकरण शामिल है।
- भारत का खनिज क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.5% का योगदान देता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं।
- हरित ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की ओर वैश्विक बदलाव ने महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को तेज कर दिया है, जिसमें भारत उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी पहलों के तहत घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक भारत के खनिज क्षेत्र को बदलने के उद्देश्य से नीलामी-आधारित आवंटन, अपतटीय अन्वेषण, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और एक खनिज सुरक्षा कोष की शुरुआत करता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य खनिज आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और राजस्व में वृद्धि हो।
- यह महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो।
- विधेयक में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और प्रभाव आकलन शामिल हैं।
- यह एक खनिज सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा और सतत खनन प्रथाओं का समर्थन करेगा।
- यह विधेयक भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं, ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
नीलामी-आधारित आवंटन	खनिज ब्लॉकों के आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को कम करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना।
अपतटीय अन्वेषण को बढ़ावा	भारत के अनछुए समुद्री खनिज संसाधनों का पता लगाना और उनका दोहन करना, जिससे खनिज सुरक्षा बढ़ेगी।
पर्यावरण सुरक्षा उपाय	खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सख्त नियम और सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
खनिज सुरक्षा कोष	महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और रणनीतिक भंडार बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान	लित्थियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, जो हरित ऊर्जा और रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

विशेषता	महत्व
घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन	खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसके योगदान को 1.5% से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- नीलामी-आधारित आवंटन से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना भारत की ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) और रक्षा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- अपतटीय अन्वेषण से भारत की खनिज सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति इसकी भेद्यता कम होगी।
- पर्यावरण सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने से खनन गतिविधियों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

महत्वपूर्ण खनिज रणनीति · राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 · नीलामी-आधारित खनिज आवंटन · जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) · अपतटीय खनिज अन्वेषण · पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 2006 · राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP) · महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर भारत

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 भारत के खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। 2. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 ने खनिज आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नीलामी-आधारित आवंटन की सिफारिश की थी। 3. भारत का खनिज क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 5% का योगदान देता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक

2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि MMDR अधिनियम, 1957 भारत के खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 ने नीलामी-आधारित आवंटन की सिफारिश की थी। कथन 3 गलत है क्योंकि भारत का खनिज क्षेत्र GDP में लगभग 1.5% का योगदान देता है, न कि 5%।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का/के प्रमुख उद्देश्य है/हैं? 1. खनिज आवंटन के लिए नीलामी-आधारित प्रणाली शुरू करना। 2. अपतटीय खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना। 3. पर्यावरण सुरक्षा उपायों को मजबूत करना। 4. एक खनिज सुरक्षा कोष स्थापित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य नीलामी-आधारित आवंटन, अपतटीय अन्वेषण, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और एक खनिज सुरक्षा कोष की स्थापना करके भारत के खनिज क्षेत्र को बदलना है। अतः सभी विकल्प सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भारत के खनिज क्षेत्र में किन प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव करता है? भारत के औद्योगिक विकास और ऊर्जा संक्रमण के लिए इन सुधारों का महत्व क्या है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत विधेयक के मुख्य उद्देश्यों और पृष्ठभूमि से करें। विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सुधारों जैसे नीलामी-आधारित आवंटन, अपतटीय अन्वेषण, पर्यावरण सुरक्षा उपाय और

खनिज सुरक्षा कोष की स्थापना का विस्तार से उल्लेख करें। इसके बाद, भारत के औद्योगिक विकास (घरेलू मूल्यवर्धन, PLI योजनाएं) और ऊर्जा संक्रमण (महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, स्वच्छ ...

POLITY

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन



माइंड मैप: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026: न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों

GS Paper II — भारतीय संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ। • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (न्यायपालिका की भूमिका)

✎ **अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अधिकरणों में नियुक्तियों तथा सेवा शर्तों को विनियमित करके न्यायिक स्वतंत्रता व शक्तियों...**

यह खबर चर्चा में क्यों?

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunals Reforms Bill, 2026) को हाल ही में संसद द्वारा पारित

किया गया है। यह विधेयक अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (Tribunals Reforms Act, 2021) का निरसन करता है और विभिन्न अधिकरणों में नियुक्तियों तथा सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत में अधिकरणों की स्थापना प्रशासनिक बोझ को कम करने और विशिष्ट मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। यह कदम न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

- भारत में अधिकरणों की स्थापना प्रशासनिक बोझ को कम करने और विशिष्ट मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।
- मूल संविधान में अधिकरणों का कोई प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) और अनुच्छेद 323B (अन्य मामलों के लिए अधिकरण) जोड़े गए।
- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत कई अधिकरण स्थापित किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal), सशस्त्र बल अधिकरण (Armed Forces Tribunal), आयकर अपीलीय अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) आदि।
- अधिकरणों में नियुक्तियों और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से विवाद रहा है, विशेषकर न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के संबंध में।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) और न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
- वर्तमान विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों का पालन करते हुए अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग

- यह विधेयक अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का निरसन करता है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना करता है।
- राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के मुख्य कार्य: अधिकरणों में रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना, अधिकरणों के प्रदर्शन की समीक्षा करना, अधिकरणों के अध्यक्षों या सदस्यों के आचरण के खिलाफ शिकायतों की जाँच की निगरानी करना, और राष्ट्रीय

अधिकरण डेटा ग्रिड (National Tribunals Data Grid) का विकास व रखरखाव करना।

- आयोग की संरचना: इसमें एक अध्यक्ष (जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो), दो न्यायिक सदस्य (जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हों) और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। तकनीकी सदस्यों के पास सार्वजनिक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।
- आयोग में नियुक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा की जाएंगी। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के परामर्श के बाद की जाएंगी।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना	अधिकरणों (Tribunals) में नियुक्तियों और कामकाज में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करना।
अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का निरसन	सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को बनाए रखना।
आयोग की संरचना	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों का समावेश, विशेषज्ञता और न्यायिक अनुभव का संतुलन।
अधिकरणों के लिए चयन प्रक्रिया	खोज-सह-चयन समिति (search-cum-selection committee) द्वारा सिफारिश, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए तीन महीने की समय-सीमा, निष्पक्ष और समयबद्ध चयन सुनिश्चित करना।
अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल	

विशेषता	महत्व
	पांच वर्ष या निर्धारित आयु सीमा तक, जो भी पहले हो, कार्यकाल की निश्चितता और स्थिरता प्रदान करना।

आगे की राह

- राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की नियुक्तियों में न्यायिक परामर्श को और अधिक सशक्त बनाना, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
- अधिकरणों के कामकाज की नियमित और स्वतंत्र ऑडिटिंग सुनिश्चित करना, ताकि उनकी दक्षता और जवाबदेही बनी रहे।
- राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड के लिए एक मजबूत और सुरक्षित तकनीकी बुनियादी ढाँचा विकसित करना, जिससे डेटा का प्रभावी उपयोग हो सके।
- अधिकरणों के सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विशेषकर तकनीकी सदस्यों के लिए, ताकि वे न्यायिक सिद्धांतों को समझ सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

अधिकरण (Tribunals) · अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 · राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) · शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) · न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) · अनुच्छेद 323A और 323B

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का निरसन करता है। 2. यह विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 3. राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक 2021 के अधिनियम को निरस्त करता है। कथन 2 सही है क्योंकि विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करता है। कथन 3 सही है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।

Q2. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के संदर्भ में, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के कार्यों में क्या शामिल है? 1. अधिकरणों में रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना। 2. अधिकरणों के प्रदर्शन की समीक्षा करना। 3. अधिकरणों के अध्यक्षों या सदस्यों के आचरण के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करना। 4. राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड का विकास और रखरखाव करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — दिए गए सभी चार कार्य राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के कार्यों में शामिल हैं जैसा कि विधेयक में उल्लिखित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यह विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को बनाए रखने में किस प्रकार सहायक है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्य और 2021 के अधिनियम को निरस्त करने का कारण (सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप)।
2. प्रमुख प्रावधान: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना: इसकी संरचना (अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य), कार्यकाल (5 वर्ष या 70 वर्ष), और नियुक्ति ...

POLITY

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: प्रमुख प्रावधान और आर्थिक प्रभाव



माइंड मैप: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: प्रमुख प्रावध

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। सरकारी बजट। • **GS Paper II** — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा, जिसे 5 जून, 2026 को जारी किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कर छूट प्रदान करना तथा कुछ अन्य संस्थाओं को भी छूट देना है। यह वित्त अधिनियम, 2026 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में भी संशोधन करता है, जिसका लक्ष्य भारत में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

याद रखें

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, पूंजी बाजार को बढ़ावा देना और विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कराधान नियमों को सरल बनाना है।

मुख्य बिंदु

- भारत सरकार आर्थिक संवृद्धि को गति देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए समय-समय पर कराधान नीतियों में संशोधन करती है।

- पूर्व में, आयकर अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय पर 20% और पूंजीगत लाभ पर 12.5% से 30% तक कर लगता था।
- सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को आकर्षित करने और पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और हीरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की गई है।
- भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नीतिगत बदलाव महत्वपूर्ण हैं।
- निवेश कोषों के लिए नियामक बाधाओं को कम करना भी भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए आवश्यक है।

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेता है और आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन करता है।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी गई है। यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
- विदेशी कंपनियों को अधिसूचित विशेष क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री से होने वाली आय पर कर छूट प्रदान की गई है, बशर्ते वे हीरा खनन या संबंधित गतिविधियों में संलग्न हों।
- विदेशी कंपनियों को कस्टम बॉन्डेड क्षेत्र में एक गोदाम में घटकों के भंडारण से होने वाली आय पर भी छूट दी गई है, यदि वे उन्हें निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान (जैसे फोन, लैपटॉप) के अनुबंध निर्माताओं को आपूर्ति करती हैं। ये छूट 1 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2041 तक लागू रहेंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान के अनुबंध निर्माताओं को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण या टूलिंग की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए आयकर छूट को 2030-31 से बढ़ाकर 2040-41 तक कर दिया गया है।
- भारत के बाहर पंजीकृत लेकिन भारत से संबंधित पात्र निवेश कोषों के लिए कर उपचार की शर्तों को सरल बनाया गया है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
सरकारी प्रतिभूतियों पर FIIs और BIS को छूट	विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से अर्जित ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट। यह भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और पूंजी बाजार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
हीरे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में विदेशी कंपनियों को छूट	निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में कच्चे हीरों की बिक्री से होने वाली आय और सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में घटकों के भंडारण से होने वाली आय पर विदेशी कंपनियों को कर छूट। यह भारत को वैश्विक विनिर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक सामान के अनुबंध निर्माताओं को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति	इलेक्ट्रॉनिक सामान के अनुबंध निर्माताओं को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग की आपूर्ति से होने वाली विदेशी कंपनियों की आय पर छूट को 2040-41 तक बढ़ाना। यह घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देगा।
भारत से प्रबंधित विदेशी निवेश फंडों के लिए शर्तों में ढील	भारत से प्रबंधित लेकिन भारत के बाहर पंजीकृत पात्र निवेश फंडों के लिए कर उपचार की शर्तों में ढील। यह भारत को एक आकर्षक वित्तीय केंद्र बनाने और फंड प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
व्यवसाय ट्रस्टों के विशेष प्रयोजन वाहनों पर अधिभार	वित्त अधिनियम, 2026 के तहत व्यवसाय ट्रस्टों के विशेष प्रयोजन वाहनों पर आयकर पर 10% अधिभार।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 · आयकर अधिनियम, 2025 · विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) · बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) · सरकारी प्रतिभूतियाँ · पूंजीगत लाभ कर · विशेष आर्थिक क्षेत्र · भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर आयकर से छूट प्रदान करता है। 2. यह विधेयक कुछ विदेशी कंपनियों को विशेष क्षेत्रों में रफ हीरों की बिक्री से होने

वाली आय पर भी कर छूट देता है। 3. यह विधेयक भारत में प्रबंधित लेकिन भारत के बाहर पंजीकृत निवेश निधियों के लिए कुछ शर्तों को हटाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। विधेयक FIIIs और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट देता है। कथन 2 सही है। विधेयक रफ हीरो के व्यापार में लगी विदेशी कंपनियों को अधिसूचित विशेष क्षेत्र में बिक्री से होने वाली आय पर कर छूट प्रदान करता है। कथन 3 सही है। विधेयक भारत में प्रबंधित लेकिन भारत के बाहर पंजीकृत पात्र निवेश निधियों के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, एकल निवेशक की अधिकतम भागीदारी और न्यूनतम मासिक औसत कोष की आवश्यकता जैसी कई शर्तों को हटाता है।

Q2. अभिकथन (A): कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कारण (R): यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों और कुछ विदेशी कंपनियों को विभिन्न प्रकार की आय पर कर छूट प्रदान करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना है। कारण (R) भी सही है क्योंकि विधेयक में FIIIs और कुछ विदेशी कंपनियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, रफ हीरो की बिक्री और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से संबंधित आय पर कर छूट का प्रावधान है। ये कर छूटें सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित हैं, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में यह विधेयक किस प्रकार सहायक हो सकता है? (15 Marks)

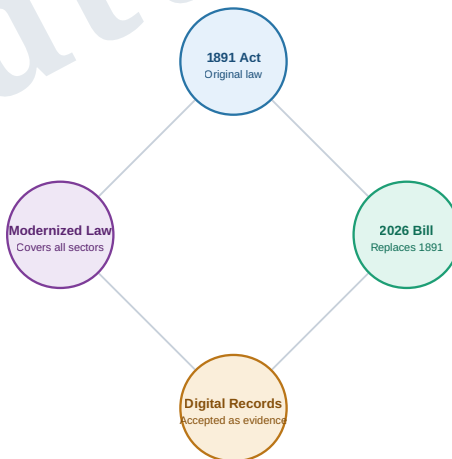
सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय दें, इसके मुख्य उद्देश्य को बताते हुए कि यह मौजूदा कानूनों में संशोधन करता है और अध्यादेश का स्थान लेता है।
- विधेयक के प्रमुख प्रावधान: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और BIS को छूट: सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय ...

POLITY

बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026: बैंकिंग प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिकीकरण का एक कदम

Banking Evidence Modernization



Banking Evidence Modernization

GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

📌 **बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 का उद्देश्य 1891 के पुराने अधिनियम को आधुनिक बनाना है, जिससे कानूनी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता सुनिश्चित हो सके और वित्तीय क्षेत्र की अन्य...**

यह खबर चर्चा में क्यों?

बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 (The Bankers' Books Evidence Bill, 2026) हाल ही में संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेने और उसे निरस्त करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के संबंध में।

प्रीलिम्स पॉइंट्स

बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 एक पुराना कानून है जो कानूनी कार्यवाही में बैंक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

मुख्य बिंदु

- बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 एक पुराना कानून है जो कानूनी कार्यवाही में बैंक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसमें मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह अधिनियम अदालती कार्यवाही में बैंकों के अधिकारियों को अनावश्यक रूप से बुलाने से बचाने के लिए बनाया गया था, जिससे उनके कार्य बाधित न हों।
- पिछले कुछ दशकों में, बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति हुई है, जिसमें भौतिक रिकॉर्ड से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की ओर बदलाव शामिल है।
- मौजूदा अधिनियम इन आधुनिक रिकॉर्ड-कीपिंग विधियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है, जिससे कानूनी कार्यवाही में उनकी स्वीकार्यता और प्रामाणिकता के संबंध में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की जटिलताओं को देखते हुए, एक अद्यतन कानूनी ढांचा आवश्यक है जो डिजिटल साक्ष्य को प्रभावी ढंग से संभाल सके और वित्तीय क्षेत्र के अन्य संस्थाओं को शामिल कर सके।

- यह विधेयक भारत की न्याय प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है।

बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 को निरस्त कर उसकी जगह लेगा।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है।
- यह अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है लेकिन कुछ प्रमुख बदलाव पेश करता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** विधेयक स्पष्ट रूप से यह जोड़ता है कि बैंकर बही का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होगा, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
- इन शर्तों में यह शामिल है कि प्रतिलिपि प्रविष्टि की सच्ची प्रति हो, कोई अनधिकृत डेटा परिवर्तन न हो, और सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ न हुई हो।
- **बैंकर बही प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना:** विधेयक उन प्रावधानों को बरकरार रखता है जो बैंक अधिकारी को बैंक के पक्षकार न होने पर बैंकर बही प्रस्तुत करने या गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने से रोकते हैं, जब तक कि 'विशेष कारण' के लिए अदालत का आदेश न हो।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का निरसन और प्रतिस्थापन	वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता	डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन के युग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानूनी वैधता प्रदान करना, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी।
बैंकों की बहियों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना	बैंक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालती कार्यवाही में शामिल होने से बचाना, जब तक कि 'विशेष कारण' न हो, जिससे बैंकों के सामान्य कामकाज में बाधा न आए।

विशेषता	महत्व
वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं पर लागू होना	केंद्रीय सरकार को यह शक्ति देना कि वह बिल के प्रावधानों को बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं तक विस्तारित कर सके, जिससे वित्तीय क्षेत्र में एकरूपता और व्यापकता आएगी।
विशेष कारण की परिभाषा	यह स्पष्ट करना कि किन परिस्थितियों में बैंक अधिकारियों को अभिलेख प्रस्तुत करने या गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जिससे कानूनी अस्पष्टता कम होगी।

चुनौतियाँ

- **डेटा सुरक्षा और गोपनीयता** — इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता से डेटा सुरक्षा और ग्राहक गोपनीयता सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी।
- **प्रौद्योगिकी का अनुकूलन** — बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपने सिस्टम को विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- **कानूनी व्याख्या और कार्यान्वयन** — 'विशेष कारण' या 'अभिलेखों की सत्यनिष्ठा' जैसी अवधारणाओं की न्यायिक व्याख्या में प्रारंभिक चुनौतियाँ आ सकती हैं।
- **नियामक समन्वय** — केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं तक विधेयक के प्रावधानों का विस्तार करते समय विभिन्न नियामक निकायों (जैसे RBI, SEBI, IRDAI) के साथ समन्वय स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. बैंक बही साक्ष्य विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह विधेयक बैंक बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेगा। 2. यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाता है। 3. यह केंद्र सरकार को वित्तीय क्षेत्र में किसी भी इकाई पर इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक 1891 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। कथन 2 सही है क्योंकि विधेयक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को कुछ शर्तों के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाता है। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा वित्तीय क्षेत्र में किसी भी इकाई या इकाइयों के वर्ग पर प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार देता है।

Q2. बैंक बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के तहत, एक बैंक अधिकारी को किसी भी बैंक बही को कानूनी कार्यवाही में प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसमें बैंक एक पक्ष नहीं है। इस प्रावधान के लिए 'विशेष कारण' की आवश्यकता होती है। बैंक बही साक्ष्य विधेयक, 2026 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा 'विशेष कारण' की परिभाषा में शामिल है? 1. प्रविष्टि या जानकारी की सटीकता या प्रामाणिकता संदिग्ध है। 2. रिकॉर्ड रखने की नियमितता या सामान्य प्रकृति बाधित हुई है। 3. बैंक पुस्तकों के निरीक्षण के संबंध में किसी भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — विधेयक में 'विशेष कारण' की परिभाषा में ये तीनों बिंदु शामिल हैं: (i) प्रविष्टि या जानकारी की सटीकता या प्रामाणिकता संदिग्ध है, (ii) कोई ऐसी घटना हुई है जो बताती है कि रिकॉर्ड रखने की नियमितता या सामान्य प्रकृति बाधित हुई है, और (iii) बैंक पुस्तकों के निरीक्षण के संबंध में किसी भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

बैंक बही साक्ष्य विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और यह कैसे भारतीय बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में साक्ष्य के कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करता है, इसका विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

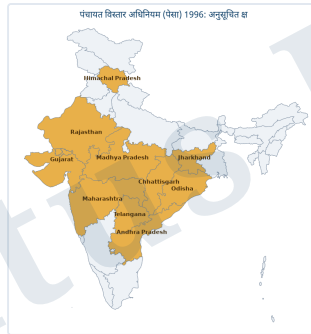
1. परिचय: बैंक बही साक्ष्य विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य (बैंक बही साक्ष्य

अधिनियम, 1891 को प्रतिस्थापित करना)।

2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान: क. इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता: शर्तें (सत्य प्रतिलिपि, अनाधिकृत परिवर्तन नहीं, छेड़छाड़ नहीं)। ख. बैंकर बही प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना: 'विशेष कारण' की परिभाषा का ...

POLITY

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996: कार्यान्वयन की समीक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता



पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था

GS Paper II — संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय (अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका) • GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही (जनजातीय क्षेत्रों में PESA का कार्यान्वयन) • GS Paper III — पर्यावरण और वन संरक्षण (लघु वन उत्पाद और जनजातीय आजीविका)

यह खबर चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने 31 जुलाई, 2026 को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के कार्यान्वयन की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में ग्राम सभा की शक्तियों के संचालन में महत्वपूर्ण कमियों, अवैध भूमि हस्तांतरण और अपर्याप्त ग्राम-केंद्रित योजना पर प्रकाश डाला गया है, जो जनजातीय स्व-शासन को

याद रखें

PESA अधिनियम, 1996, अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्व-शासन को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा को एक मूलभूत संस्था के रूप में स्थापित करता है, जिसे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य अभिविन्यास कार्यक्रमों, स्थानीय भाषा...

मजबूत करने और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) संविधान के भाग IX (पंचायतों) को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित करता है ताकि जनजातीय स्वायत्तता को समायोजित किया जा सके।
- पांचवीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है, जिनकी विशेषता जनजातीय आबादी की अधिकता और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है।
- यह अधिनियम ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों, पारंपरिक विवाद समाधान, लघु वन उत्पादों, भूमि अधिग्रहण और ग्राम विकास योजना पर व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, PESA का संचालन असमान रहा है, जिसमें प्रशासनिक और संस्थागत बाधाओं के कारण ग्राम सभा की शक्तियाँ अक्सर केवल कागजों पर ही रह जाती हैं।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 PESA के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे अतिव्यापी क्षेत्राधिकार और कार्यान्वयन चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) क्या है?

- PESA अधिनियम, 1996, संविधान के भाग IX (पंचायतों) का पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक एक संवैधानिक विस्तार है।
- इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को स्व-शासन का अधिकार प्रदान करना और उनकी पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा करना है।
- यह अधिनियम ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में निर्णय लेने वाली प्राथमिक संस्था के रूप में मान्यता देता है।
- ग्राम सभा को लघु वन उत्पादों के स्वामित्व, भूमि अलगाव को रोकने, स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
- यह जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करता है।

- PESA का लक्ष्य जनजातीय समुदायों की पहचान, संस्कृति और आजीविका को बनाए रखना है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
ग्राम सभा को सशक्त बनाना	PESA अधिनियम के तहत जनजातीय स्वशासन की आधारशिला। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य अभिविन्यास कार्यक्रम, स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान और प्रस्तावों का डिजिटलीकरण आवश्यक।
भूमि संरक्षण	जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकना। PESA अधिनियम ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर अधिकार देता है।
सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण	ग्राम सभा को लघु वन उपज (Minor Forest Produce) और अन्य सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है, जिससे जनजातीय आजीविका सुरक्षित होती है।
ग्राम विकास योजना (GPDP)	ग्राम सभा को ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan) बनाने और लागू करने का अधिकार देता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास सुनिश्चित होता है।
पारंपरिक विवाद समाधान	ग्राम सभा को अपने पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं के अनुसार विवादों को हल करने का अधिकार देता है, जिससे स्थानीय न्याय प्रणाली मजबूत होती है।

भारत के लिए महत्व

- यह रिपोर्ट PESA अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन और भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल देती है।
- ग्राम सभा को सशक्त बनाने की सिफारिशें संवैधानिक रूप से परिकल्पित जनजातीय स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- PESA का प्रभावी कार्यान्वयन जनजातीय समुदायों को उनके संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करके और उनकी आजीविका को सुरक्षित करके सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है।

- भूमि हस्तांतरण को रोकने और ग्राम-केंद्रित योजना को बढ़ावा देने से जनजातीय क्षेत्रों में असमानता और गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी।
- ग्राम सभा को लघु वन उपज और अन्य सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार देने से वन संरक्षण और सतत विकास में जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

पांचवीं अनुसूची · छठी अनुसूची · पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) · ग्राम सभा · जनजातीय उप-योजना · वन अधिकार अधिनियम, 2006 · भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 · अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पेसा अधिनियम, 1996, संविधान के भाग IX (पंचायतों) को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। 2. अनुसूचित क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित किया जाता है। 3. पेसा अधिनियम ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों पर व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि पेसा अधिनियम, 1996, संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा पांचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया जाता है, न कि छठी अनुसूची के तहत। कथन 3 सही है क्योंकि पेसा अधिनियम ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों, प्रथागत विवाद समाधान और लघु वन उत्पादों पर व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

Q2. पेसा अधिनियम, 1996 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान सही है/हैं? 1. यह जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करता है। 2. यह ग्राम सभा को भूमि

अधिग्रहण और पुनर्वास पर परामर्श का अधिकार देता है। 3. यह लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा को हस्तांतरित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — पेसा अधिनियम जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित करता है और ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण पर परामर्श का अधिकार देता है। यह लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार भी ग्राम सभा को हस्तांतरित करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जनजातीय स्वशासन को सशक्त बनाने और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ग्राम सभा की भूमिका को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? (15 अंक)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: पेसा अधिनियम, 1996 का संक्षिप्त परिचय दें

• इसका उद्देश्य, संवैधानिक आधार (पांचवीं अनुसूची, भाग IX का विस्तार) और जनजातीय स्वशासन के लिए इसका महत्व।

2. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ (समालोचनात्मक परीक्षण): क. ग्राम सभा शक्तियों का अपर्याप्त परिचालन: प्रशासनिक और संस्थागत बाधाएँ, जागरूकता की कमी, स्थानीय भाषा में कार्यक्रमों का अभाव। ...

POLITY

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की ओर



माइंड मैप: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेय

GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

✎ **सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का लक्ष्य पेपर लीक और अनुचित साधनों पर कड़े दंड के माध्यम से एक विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करना है।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह विधेयक परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है

मुख्य बिंदु

- पिछले कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है
- परीक्षाओं में अनुचित साधनों के बढ़ते मामलों ने शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं

- सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें कार्य बल का गठन और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना शामिल है
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि जैसे उपाय भी शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयासों का हिस्सा हैं
- तकनीक का इष्टतम उपयोग भी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक माना गया है

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 क्या है?

- यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों को रोकने के लिए लाया गया है
- इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है ताकि लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके
- यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
कठोर दंड का प्रावधान	यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है, जिससे दोषियों को कड़ा संदेश मिलेगा।
संगठित अपराधों के लिए विशेष प्रावधान	संगठित अपराधों में शामिल व्यक्तियों या गिरोहों के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है, जो बड़े पैमाने पर होने वाले पेपर लीक को रोकने में सहायक होगा।
फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन	यह विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित होगा।
परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाली	कठोर कानूनों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करना है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल सके।

विशेषता	महत्व
छात्रों के भविष्य की सुरक्षा	यह कानून उन गिरोहों पर नकेल कसेगा जो पेपर लीक करके छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, जिससे लाखों युवाओं को न्याय मिलेगा।

भारत के लिए महत्व

- यह विधेयक लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, जो पेपर लीक के कारण अपनी मेहनत और अवसरों से वंचित रह जाते हैं।
- परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल होने से युवाओं में निराशा कम होगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
- यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से, मामलों का त्वरित निपटारा होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।
- यह विधेयक शिक्षा प्रणाली में सुधारों को गति देगा, जिससे परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहेगी।

चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ** — कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी।
- **जागरूकता और सहयोग का अभाव** — कानून के प्रावधानों के बारे में छात्रों, अभिभावकों और परीक्षा अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।
- **तकनीकी सुरक्षा का अभाव** — परीक्षा सामग्री की छपाई, वितरण और भंडारण में तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
- **न्यायिक प्रक्रिया में देरी** — फास्ट-ट्रैक अदालतों के बावजूद, बड़ी संख्या में मामलों के कारण न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

आगे की राह

- परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

- पेपर लीक को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल एन्क्रिप्शन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करना।
- परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह विधेयक केवल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है। 2. विधेयक में पेपर लीक के संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम सात साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 3. यह विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि विधेयक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। कथन 2 सही है, विधेयक में संगठित अपराधों के लिए न्यूनतम सात साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। कथन 3 भी सही है, विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

Q2. अभिकथन (A): सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना है। कारण (R): यह विधेयक पेपर लीक और अनुचित साधनों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें संगठित अपराधों के लिए लंबी जेल अवधि और भारी जुर्माना शामिल है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कठोर दंड ही विश्वास बहाल करने का एक प्रमुख साधन है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यह विधेयक भारत में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करने में किस हद तक सफल हो सकता है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने और इसके उद्देश्य का संक्षिप्त उल्लेख करें

• परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना।

2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान: निम्नलिखित बिंदुओं को विस्तार से समझाएं: क. दंड का प्रावधान: पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के ...

POLITY

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण



माइंड मैप: न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम: सर्वोच्च न्यायालय के न

GS Paper II — भारतीय संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ • GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की

आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अपनी भूमिका की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए और कार्यपालिका तथा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

याद रखें

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम भारतीय न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनके बीच संतुलन बनाए रखना शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक मर्यादाओं के सम्मान के लिए आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत सरकार के तीन अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
- न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) वह स्थिति है जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और सार्वजनिक हित के लिए नीतियाँ बनाने या कार्यपालिका को निर्देश देने में सक्रिय भूमिका निभाती है।
- न्यायिक संयम (Judicial Restraint) इसके विपरीत है, जहाँ न्यायपालिका अपनी सीमाओं को पहचानते हुए विधायिका और कार्यपालिका के निर्णयों में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है, जब तक कि वे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या मनमाने न हों।
- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' करने के लिए ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति देता है जो किसी भी लंबित मामले में आवश्यक हों, लेकिन इस शक्ति का उपयोग भी संयम के साथ करने की सलाह दी जाती है।

- न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करती है।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम

- न्यायिक सक्रियता: यह न्यायपालिका की वह अवधारणा है जिसमें न्यायाधीश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अक्सर जनहित याचिकाओं के माध्यम से। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- न्यायिक संयम: यह न्यायपालिका का वह दृष्टिकोण है जिसमें न्यायाधीश विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को नीति-निर्माण का प्राथमिक अधिकार है।
- शक्तियों का पृथक्करण: यह सिद्धांत सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच कार्यों और शक्तियों के स्पष्ट विभाजन पर जोर देता है ताकि किसी भी एक अंग द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- जनहित याचिका (PIL): यह न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक हित के मामलों में सीधे न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, भले ही वे सीधे प्रभावित पक्ष न हों।
- अनुच्छेद 142: यह सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि अन्य अंगों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न हो।
- संतुलन का महत्व: एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच एक नाजुक संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक सक्रियता 'न्यायिक अतिक्रमण' का कारण बन सकती है, जबकि अत्यधिक संयम न्याय के अभाव का कारण बन सकता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के दायरे में रहें। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
संविधान की सर्वोच्चता	यह स्थापित करती है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारी अंग इसके अधीन हैं।
शक्तियों का पृथक्करण	सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को बनाए रखती है, जिससे किसी एक अंग की मनमानी पर रोक लगती है।
मौलिक अधिकार	यह सुनिश्चित करती है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
कानून का शासन	यह सिद्धांत कि सभी व्यक्ति, संस्थाएँ और सरकार स्वयं कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं, को मजबूत करती है।

चुनौतियाँ

- **न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)** — कभी-कभी न्यायपालिका अपनी सीमाएं पार कर विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है।
- **न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)** — न्यायालयों द्वारा नीति-निर्माण के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका कम हो जाती है।
- **न्यायिक रिक्तियाँ और कार्यभार** — न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण न्याय वितरण में देरी होती है।
- **न्यायिक जवाबदेही** — न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके आचरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 2. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। 3. न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत में कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) दोनों के पास है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हालांकि इसकी शक्ति अंतर्निहित है। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें, जिससे कानून का शासन बना रहे।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय संविधान का मूल ढाँचा (Basic Structure) न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। कारण (R): केशवानंद भारती वाद ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित कर दिया।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A सत्य है, लेकिन R असत्य है। — अभिकथन (A) असत्य है। संविधान का मूल ढाँचा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इसे परिभाषित किया है। कारण (R) भी असत्य है। केशवानंद भारती वाद (1973) ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया, यह कहते हुए कि संसद संविधान के मूल ढाँचे को संशोधित नहीं कर सकती।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता और शक्ति पृथक्करण

(Separation of Powers) के सिद्धांत पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: एक पूर्ण उत्तर में निम्नलिखित आयामों को शामिल किया जाना चाहिए:

1. परिचय: न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और भारतीय संविधान में इसकी अंतर्निहित प्रकृति का संक्षिप्त परिचय।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 13, 32, 226, 131, 132, 136, 143, 246, 254 जैसे प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लेख।
3. न्यायिक समीक्षा का दायरा: विधायी अधिनियमों, कार्यकारी आदेशों और ...

POLITY

भारत में रोज़गार बाज़ार और परीक्षा में धांधली: संवैधानिक वादे और सामाजिक अनुबंध पर प्रभाव

Social contract under strain

Education	Investment by families Path to opportunity
Employment	Weak job market Frustration
Exams	Leaks & irregularities Loss of trust
Youth	Disillusionment Protests
Social fabric	Eroding trust Economic risk

Social contract under strain

GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास

📌 रोज़गार बाज़ार की कमज़ोरी और परीक्षा में धांधली भारत के सामाजिक अनुबंध और संवैधानिक वादों को चुनौती देती हैं, जिससे युवाओं में निराशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जो अंततः जनसांख्यिकीय लाभांश...

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक राज्यसभा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में 'भारतीय संविधान और इसका संरक्षण' विषय पर

व्याख्यान देते हुए कहा कि कमज़ोर रोज़गार बाज़ार और परीक्षा में धांधली (पेपर लीक) भारत के सामाजिक अनुबंध को कमज़ोर कर रही है, जहाँ शिक्षा को अवसर में बदलने का एक स्थापित सूत्र रहा है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत में शिक्षा और रोज़गार को सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) का एक प्रमुख माध्यम माना जाता रहा है, जहाँ कड़ी मेहनत और अच्छी शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन की उम्मीद की जाती है।

मुख्य बिंदु

- भारत में शिक्षा और रोज़गार को सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) का एक प्रमुख माध्यम माना जाता रहा है, जहाँ कड़ी मेहनत और अच्छी शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन की उम्मीद की जाती है।
- देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियाँ और प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाएँ (जैसे NEET) न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि सामाजिक सम्मान का भी प्रतीक हैं।
- अनेक निम्न-मध्यम और मध्यम-वर्गीय परिवार अपनी बचत का निवेश बच्चों की शिक्षा और कोचिंग पर करते हैं, ताकि वे इन परीक्षाओं में सफल हो सकें।
- पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा और अविश्वास का माहौल बना है।
- बेरोज़गारी, विशेषकर शिक्षित बेरोज़गारी, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को चुनौती दे रही है, क्योंकि बड़ी युवा आबादी को पर्याप्त रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
- ये मुद्दे दिल्ली, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का कारण बने हैं, जो युवाओं की बढ़ती हताशा को दर्शाते हैं।

रोज़गार बाज़ार और परीक्षा में धांधली का प्रभाव

- सामाजिक अनुबंध का टूटना: यह उस अलिखित समझौते को कमज़ोर करता है जहाँ शिक्षा को प्रयास को अवसर में बदलने का माध्यम माना जाता है।
- युवाओं में निराशा और हताशा: परीक्षा में धांधली और रोज़गार की कमी से युवाओं के सपने टूटते हैं, जिससे उनमें व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है।
- आर्थिक बोझ: कोचिंग फीस और परीक्षा की तैयारी में लगने वाला समय व धन परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, खासकर जब परिणाम अनिश्चित हों।
- जनसांख्यिकीय लाभांश का जोखिम: यदि युवा आबादी को उत्पादक रोज़गार नहीं मिलता है, तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है।
- संवैधानिक मूल्यों पर प्रभाव: न्याय, समानता और अवसर की समानता जैसे संवैधानिक मूल्य प्रभावित होते हैं, जब योग्यता और कड़ी मेहनत को अनुचित साधनों से दरकिनार किया जाता है।
- शासन पर अविश्वास: बार-बार होने वाली धांधली और रोज़गार की कमी से सरकार और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
कमज़ोर रोज़गार बाज़ार	युवाओं में निराशा और सामाजिक अनुबंध (Social Contract) का टूटना, आर्थिक अस्थिरता का कारण।
पेपर लीक	योग्यता-आधारित प्रणाली में विश्वास की कमी, शिक्षा के निवेश पर नकारात्मक प्रभाव, विरोध प्रदर्शनों का कारण।
जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)	यदि युवाओं को पर्याप्त अवसर न मिलें तो यह लाभांश बोझ में बदल सकता है।
सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)	शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से बेहतर जीवन की पारंपरिक धारणा पर प्रश्नचिह्न।
NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाएँ	मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए स्थिर जीवन का प्रवेश द्वार, लीक होने से सपनों का टूटना।

भारत के लिए महत्व

- कमजोर रोज़गार बाज़ार और पेपर लीक से युवाओं में व्यापक निराशा फैल रही है, जिससे सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि हो सकती है।
- शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से बेहतर जीवन प्राप्त करने के 'सामाजिक अनुबंध' में जनता का विश्वास कम हो रहा है, जो सामाजिक ताने-बाने के लिए हानिकारक है।
- यदि जनसांख्यिकीय लाभांश को उचित रोज़गार के अवसरों में नहीं बदला गया, तो यह देश की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
- शिक्षा और कौशल विकास में किए गए निवेश का अपेक्षित प्रतिफल न मिलने से मानव पूंजी (Human Capital) का अपव्यय हो रहा है।
- पेपर लीक जैसी घटनाओं से सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिससे शासन की विश्वसनीयता कम होती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

बेरोज़गारी (Unemployment) · जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) · पेपर लीक (Paper Leak) · सामाजिक अनुबंध (Social Contract) · संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) · नीट (NEET)

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में 'पेपर लीक' की समस्या केवल सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं तक सीमित है। 2. जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का पूर्ण लाभ उठाने के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसरों का सृजन आवश्यक है। 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि पेपर लीक की समस्या सरकारी नौकरियों के साथ-साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं (जैसे NEET) में भी देखी जाती है। कथन 2 सही है, जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब युवा और कार्यशील आबादी को पर्याप्त शिक्षा और रोज़गार के अवसर मिलें। कथन 3 सही है, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में कमज़ोर रोज़गार बाज़ार और पेपर लीक की घटनाएँ युवाओं के बीच निराशा और सामाजिक अशांति को बढ़ा रही हैं। **कारण (R):** ये समस्याएँ शिक्षा के माध्यम से बेहतर जीवन बनाने के 'सामाजिक अनुबंध' को कमज़ोर करती हैं, जिससे आर्थिक गतिशीलता बाधित होती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि रोज़गार की कमी और पेपर लीक युवाओं के भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे निराशा बढ़ती है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये मुद्दे शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक उत्थान के पारंपरिक मार्ग में विश्वास को कम करते हैं, जो एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में कमज़ोर रोज़गार बाज़ार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्याएँ युवाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ बन गई हैं। इन चुनौतियों के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इनके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले प्रभावी कदमों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: रोज़गार बाज़ार की चुनौतियों और पेपर लीक की व्यापकता का संक्षिप्त उल्लेख, यह बताते हुए कि कैसे ये युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं।

2. कारणों का विश्लेषण: क. कमज़ोर रोज़गार बाज़ार के कारण: कौशल अंतर, विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि, स्वचालन का प्रभाव, शिक्षा प्रणाली और उद्योग की ज़रूरतों ...

POLITY

अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा में वृद्धि: सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Pinakpani (CC BY-SA 4.0)

GS Paper II — भारतीय संविधान, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और न्याय

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि अपीलीय न्यायालय राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा अपील के अभाव में किसी दोषी की

सजा को स्वतः नहीं बढ़ा सकता है। यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए आया, जिसमें एक सह-दोषी की आजीवन कारावास की सजा को 'शेष जीवन के लिए कारावास' में बदल दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायालय दोषी को उस स्थिति से बदतर स्थिति में नहीं छोड़ सकता, जिसमें वह अपील दायर होने से पहले था।

याद रखें

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपीलीय न्यायालय राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा अपील के अभाव में किसी दोषी की सजा को स्वतः नहीं बढ़ा सकता है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में, निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।
- अपीलीय न्यायालय का मुख्य कार्य निचली अदालत के निर्णय की वैधता और औचित्य की समीक्षा करना है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure – CrPC) अपीलीय क्षेत्राधिकार और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है।
- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार न्यायालय को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच करने और उसमें पाई गई किसी भी त्रुटि को सुधारने की शक्ति देता है।
- आजीवन कारावास (Life Imprisonment) का अर्थ सामान्यतः दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास होता है, लेकिन धारा 433A CrPC के तहत 14 साल की कैद के बाद कुछ शर्तों के अधीन सजा कम की जा सकती है।
- 'शेष जीवन के लिए कारावास' (Imprisonment for the Remainder of Life) एक ऐसी सजा है जिसमें किसी भी छूट या समय से पहले रिहाई का स्पष्ट रूप से निषेध होता है।

अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और सीमाएँ

- अपीलीय न्यायालय (Appellate Court) वह न्यायालय होता है जो निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करता है जब कोई पक्ष उस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपील दायर करता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत ने कानून का सही ढंग से पालन किया है और न्याय उचित तरीके से किया है।
- अपीलीय न्यायालय को आमतौर पर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखने, कम करने या रद्द करने का अधिकार होता है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय ने स्पष्ट किया है कि सजा को बढ़ाने की शक्ति तभी प्रयोग की जा सकती है जब राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने के लिए विशेष अपील दायर की गई हो।

- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) न्यायालय को किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग भी स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
- इस निर्णय का महत्व यह है कि यह अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्वतः संज्ञान (suo-motu) लेकर सजा बढ़ाने की मनमानी पर रोक लगाता है, जिससे दोषियों के अधिकारों की रक्षा होती है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ	अपीलीय न्यायालय (Appellate Court) स्वतः संज्ञान लेकर किसी दोषी की सज़ा नहीं बढ़ा सकता, जब तक कि राज्य, पीड़ित या शिकायतकर्ता द्वारा सज़ा बढ़ाने के लिए अपील दायर न की गई हो।
स्वयं संज्ञान (Suo Motu) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार	उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपने स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया, क्योंकि सज़ा बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी।
दोषी की स्थिति	अपीलीय न्यायालय किसी दोषी को अपील दायर होने से पहले की स्थिति से बदतर स्थिति में नहीं छोड़ सकता।
आजीवन कारावास बनाम शेष जीवन के लिए कारावास	आजीवन कारावास में छूट (remission) का प्रावधान होता है (CrPC की धारा 433A के तहत 14 साल बाद), जबकि शेष जीवन के लिए कारावास में ऐसी छूट का प्रावधान नहीं होता।
सज़ाओं का एक साथ चलना (Concurrent Sentences)	सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विभिन्न अपराधों के लिए दी गई सज़ाएँ एक साथ चलेंगी, न कि क्रमिक रूप से।

चुनौतियाँ

- **न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ** — न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक संयम (Judicial Restraint) के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है, विशेषकर जब न्यायालय स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

- **पीड़ितों के अधिकार** — पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना, विशेषकर जब वे सज़ा बढ़ाने की अपील करने में असमर्थ हों या उन्हें प्रक्रिया की जानकारी न हो।
- **कानूनी जागरूकता का अभाव** — आम जनता और यहाँ तक कि कुछ कानूनी पेशेवरों के बीच भी अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

सर्वोच्च न्यायालय · अपीलीय न्यायालय · दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) · पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) · आजीवन कारावास · धारा 433A CrPC

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि अपीलीय न्यायालय राज्य या पीड़ित द्वारा अपील के अभाव में किसी दोषी की सज़ा को अपने आप नहीं बढ़ा सकता। 2. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433A के अनुसार, आजीवन कारावास की सज़ा पाए दोषी को 14 साल की जेल के बाद ही सज़ा में छूट मिल सकती है। 3. 'आजीवन कारावास' का अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए सज़ा है, जबकि 'शेष जीवन के लिए कारावास' में छूट के माध्यम से अवधि को कम किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण अवलोकन किया है। कथन 2 सही है। CrPC की धारा 433A इस प्रावधान को स्पष्ट करती है। कथन 3 गलत है। 'आजीवन कारावास' में छूट संभव है, जबकि 'शेष जीवन के लिए कारावास' में कोई प्रारंभिक रिहाई या सज़ा में कमी नहीं होती।

Q2. अभिकथन (A): अपीलीय न्यायालय राज्य या पीड़ित द्वारा अपील के बिना किसी दोषी की सज़ा को अपने आप नहीं बढ़ा सकता है। कारण (R): अपीलीय न्यायालय का पुनरीक्षण

क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) उसे किसी भी परिस्थिति में सज़ा बढ़ाने की अनुमति देता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A सत्य है, लेकिन R असत्य है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपीलीय न्यायालय राज्य या पीड़ित की अपील के अभाव में सज़ा नहीं बढ़ा सकता। कारण (R) असत्य है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय ने सुओ-मोटो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया था, और यह क्षेत्राधिकार अपील के बिना सज़ा बढ़ाने की अनुमति नहीं देता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में अपीलीय न्यायालयों के दंडादेश बढ़ाने के क्षेत्राधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकारों और राज्य की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य या पीड़ित की अपील के बिना सज़ा बढ़ाने पर रोक लगाई गई है।
2. निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण: न्यायिक सिद्धांत: यह सिद्धांत कि अपीलीय न्यायालय दोषी को अपील से पहले की स्थिति से बदतर स्थिति में नहीं ...

Polity & Governance

POLITY & GOVERNANCE

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच



माइंड मैप: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए एक सुरक्षा क

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। • GS Paper III — कृषि मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन तथा संबंधित विषय एवं बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

✍ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने, उनकी आय को स्थिर करने और कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) हाल ही में चर्चा में रही है, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में इसके लिए

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह सूखे, बाढ़, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

₹12,200 करोड़ का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाने और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना की शुरुआत से अब तक 92.46 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और ₹2.06 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है, जो इसकी व्यापक पहुंच और प्रभावशीलता को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह सूखे, बाढ़, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- फसल नुकसान से किसानों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, जिससे वे अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उनकी आजीविका प्रभावित होती है।
- किसानों को इन जोखिमों से बचाने और उनकी आय को स्थिर करने के लिए फसल बीमा योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई।
- पहले की फसल बीमा योजनाओं में कम कवरेज, उच्च प्रीमियम और दावों के निपटान में देरी जैसी कई कमियाँ थीं।
- इन कमियों को दूर करने और अधिक व्यापक तथा किफायती फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की गई।
- यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और कृषि उत्पादन से जुड़े जोखिमों का सामना करने में मदद करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना है।
- यह योजना बुवाई न हो पाने या बुवाई के विफल होने, मौसम के बीच में बड़े पैमाने पर खराब हालात, स्थानीय आपदाएँ (जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव), और फसल कटाई के बाद के नुकसान (चक्रवात, बेमौसम बारिश) सहित विभिन्न जोखिमों को कवर करती है।
- किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।

- यह योजना ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों तरह के किसानों के लिए उपलब्ध है, जिसमें किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार किसान भी शामिल हैं, बशर्ते उनके पास बीमा योग्य हित और वैध दस्तावेज हों।
- दावों के त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसमें 'प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली' (YES-Tech) और 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (WINDS) जैसी पहले शामिल हैं।
- PMFBY का लक्ष्य किसानों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना, उनकी आजीविका की रक्षा करना, आय को स्थिर करना और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
व्यापक कवरेज	सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों, बीमारियों, बुआई न हो पाने, स्थानीय आपदाओं, जलभराव, बेमौसम बारिश और फसल कटाई के बाद के नुकसानों सहित विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है।
कम प्रीमियम दरें	किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम दरें किफायती रखी गई हैं।
प्रौद्योगिकी का उपयोग	दावों के निपटारे को तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 'प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली' (YES-Tech) और 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (WINDS) जैसी तकनीकों का उपयोग।
सभी किसानों के लिए	ऋण लेने वाले और गैर-ऋण लेने वाले दोनों तरह के किसानों (जिसमें किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार किसान भी शामिल हैं) को कवर करता है।
वित्तीय सहायता	फसल नुकसान की स्थिति में समय पर मुआवजा प्रदान करके किसानों को आय में अचानक आई कमी से निपटने में मदद करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) · फसल बीमा · प्राकृतिक आपदाएँ · कृषि ऋण · मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS) · प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (YES-Tech)

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। 2. यह सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों सहित कई जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज प्रदान करती है। 3. 'प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली' (YES-Tech) और 'वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम' (WINDS) जैसी तकनीकी पहलें इस योजना का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। कथन 2 सही है। यह योजना सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों सहित कई जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज प्रदान करती है। कथन 3 सही है। YES-Tech और WINDS जैसी तकनीकी पहलें दावों के निपटारे को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए इस योजना में शामिल की गई हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का/के उद्देश्य है/हैं? 1. प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2. किसानों की आय को स्थिर करना और उन्हें खेती जारी रखने में मदद करना। 3. आधुनिक खेती के तरीकों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3

4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना है। इसके अतिरिक्त, यह आधुनिक खेती के तरीकों, फसल विविधीकरण और उत्पादन से जुड़े जोखिमों का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ावा देती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और योजना की प्रमुख विशेषताओं तथा इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का संक्षिप्त परिचय, इसकी शुरुआत की तिथि (18 फरवरी 2016) और इसका प्राथमिक उद्देश्य (किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना)।
- प्रमुख विशेषताएँ: योजना की व्यापक कवरेज (सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट, बीमारियाँ, बुवाई न हो पाना, स्थानीय आपदाएँ, ...)

POLITY & GOVERNANCE

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ और सरकारी पहलें



माइंड मैप: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की चुनौतियाँ और सरकारी पहलें

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय • GS Paper III — कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन • GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केरल के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है, जिससे मछुआरा समुदाय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खराब मौसम, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और सरकारी सहायता के अभाव ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। मछुआरा संघों ने तत्काल सरकारी हस्तक्षेप और एक ठोस वित्तीय राहत पैकेज की मांग की है, चेतावनी दी है कि बिना तत्काल कार्रवाई के तटीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह सकती है।

याद रखें

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, पोषण और लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन, अति-मत्स्यन और नीतिगत कार्यान्वयन में देरी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.56 प्रतिशत का योगदान देता है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र भारत में लगभग 2.8 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जिनमें मछुआरे, मछली किसान और संबंधित श्रमिक शामिल हैं।
- यह क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और निर्यात आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिकी में बदलाव, जैसे समुद्र के तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएँ, मछली के स्टॉक को प्रभावित कर रही हैं।
- अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्य पालन भी मछली संसाधनों पर दबाव डालता है और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करता है।
- सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में देरी या कमियाँ अक्सर लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुँचने में बाधा डालती हैं, जिससे संकट की स्थिति में मछुआरा समुदाय और अधिक असुरक्षित हो जाता है।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र

- मत्स्य पालन क्षेत्र भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 1.07 प्रतिशत और कुल राष्ट्रीय GVA में 0.64 प्रतिशत का योगदान देता है।
- भारत में समुद्री और अंतर्देशीय दोनों प्रकार के मत्स्य पालन का एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें विविध प्रकार की मछलियाँ और जलीय उत्पाद शामिल हैं।
- इस क्षेत्र को 'सनराइज सेक्टर' के रूप में देखा जाता है, जिसमें आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन की अपार संभावनाएँ हैं।
- सरकार ने 'नीली क्रांति' (Blue Revolution) के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में समग्र विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) जैसी योजनाएँ मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के लिए निवेश, बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और मछुआरों के कल्याण पर केंद्रित हैं।
- इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अति-मत्स्यन और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बाद का मौसम	यह अवधि सामान्यतः मछली पकड़ने और बिक्री के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वर्तमान में यह खाली जा रही है।
घटती हुई पकड़	सार्डिन और मैकेरल जैसी मुख्य किस्मों की पकड़ में भारी गिरावट, जिससे तटीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर खतरा है।
प्रतिकूल मौसम	लगातार मौसम संबंधी चेतावनी और प्रतिबंध, जिससे मछली पकड़ने की गतिविधियाँ ठप पड़ गई हैं।
सरकारी सहायता का अभाव	मछुआरों को समय पर वित्तीय राहत और मुआवजे की कमी, जिससे आर्थिक संकट गहरा रहा है।
असंगठित श्रमिक	मौसमी और दैनिक वेतन भोगी मछुआरे तथा संबद्ध श्रमिक अक्सर सरकारी राहत योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।

विशेषता	महत्व
उच्च मूल्य वाली प्रजातियों की कमी	स्विचड, कटलफिश और गहरे समुद्र के झींगे जैसी निर्यात-ग्रेड प्रजातियों की आपूर्ति में भारी कमी, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं।

भारत के लिए महत्व

- मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की तटीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
- मछली पकड़ने में गिरावट और नीतिगत देरी से मछुआरों, नाव संचालकों और संबद्ध श्रमिकों के लिए बेरोजगारी बढ़ रही है।
- मछली पकड़ने वाले समुदायों की आर्थिक असुरक्षा से सामाजिक अशांति और पलायन का खतरा बढ़ रहा है।
- राहत और मुआवजे की कमी से हाशिए पर पड़े श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
- प्रतिकूल मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रहे हैं।

चुनौतियाँ

- **मछली पकड़ने में गिरावट** — सार्डिन और मैकेरल जैसी मुख्य प्रजातियों की पकड़ में भारी कमी।
- **नीतिगत देरी और सहायता का अभाव** — मछुआरों के लिए ठोस वित्तीय पैकेज की घोषणा में देरी।
- **प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिवर्तन** — लगातार मौसम संबंधी चेतावनी और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध।
- **असंगठित श्रमिकों का बहिष्करण** — मौसमी और दैनिक वेतन भोगी मछुआरों का आधिकारिक डेटाबेस में शामिल न होना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

मत्स्य पालन क्षेत्र · नीली क्रांति (Blue Revolution) · प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) · समुद्री पारिस्थितिकी · जलवायु परिवर्तन का मत्स्य पालन पर प्रभाव · तटीय अर्थव्यवस्था

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'नीली क्रांति' का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। 2. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' मत्स्य पालन क्षेत्र में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 3. भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। नीली क्रांति का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कथन 2 गलत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कथन 3 सही है। भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है।

Q2. मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक मछली पकड़ने में गिरावट का कारण बन सकता है? 1. अत्यधिक मछली पकड़ना (Overfishing) 2. समुद्री प्रदूषण 3. जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल का तापमान बढ़ना 4. मछली पकड़ने पर मौसमी प्रतिबंध नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — दिए गए सभी कारक मछली पकड़ने में गिरावट का कारण बन सकते हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की संख्या कम हो जाती है। समुद्री प्रदूषण मछलियों के आवास और

स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आता है, जिससे मछलियों के वितरण और प्रजनन पर असर पड़ता है। मछली पकड़ने पर मौसमी प्रतिबंध, हालांकि संरक्षण के लिए लगाए जाते हैं, अल्पकालिक रूप से पकड़ में कमी लाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और नीतिगत विलंब के संदर्भ में। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

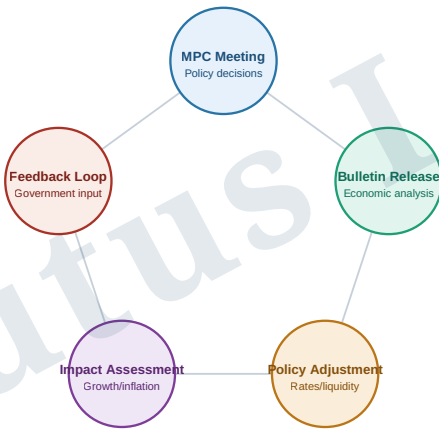
- परिचय: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्व (आर्थिक, सामाजिक, पोषण) और वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख।
- चुनौतियाँ: क. पर्यावरणीय चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन (समुद्री जल का तापमान बढ़ना, चरम मौसमी घटनाएँ, समुद्री अम्लीकरण), अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण। ख. नीतिगत और प्रशासनिक चुनौतियाँ: नीतिगत विलंब, अपर्याप्त ...

Economy

ECONOMY

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति: RBI बुलेटिन – अगस्त 2026 का विश्लेषण

RBI Monetary Policy Cycle



RBI Monetary Policy Cycle

GS Paper III — अर्थव्यवस्था • GS Paper III — आर्थिक विकास

✍ RBI के अगस्त 2026 के बुलेटिन के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, बढ़ती विनिर्माण और सेवा गतिविधियों, स्थिर कोर मुद्रास्फीति और विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि...

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 का अपना मासिक बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में अगस्त 2026 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ-

साथ 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक विशेष लेख भी शामिल है। यह लेख वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

RBI बुलेटिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख, भाषण और वर्तमान सांख्यिकी शामिल होती है।

मुख्य बिंदु

- RBI बुलेटिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख, भाषण और वर्तमान सांख्यिकी शामिल होती है।
- मौद्रिक नीति वक्तव्य (Monetary Policy Statement) वह दस्तावेज़ है जिसमें RBI अपनी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) की बैठकों के परिणामों और भविष्य के नीतिगत रुख को प्रस्तुत करता है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में भू-राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार-संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, जिसका प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) मुद्रास्फीति खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापती है और RBI के मौद्रिक नीति निर्धारण का मुख्य लक्ष्य है।
- कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) वह मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को बाहर रखा जाता है, जिससे अंतर्निहित मूल्य दबावों का बेहतर आकलन होता है।
- तरलता की स्थिति (Liquidity Conditions) से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता से है, जो ऋण वृद्धि और निवेश गतिविधियों को प्रभावित करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

- वैश्विक चुनौतियाँ: वैश्विक अर्थव्यवस्था नाजुक भू-राजनीतिक वातावरण और व्यापार-संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।
- घरेलू लचीलापन: इन वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।
- घरेलू मांग में वृद्धि: देश में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र: विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Services) गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के लिए सकारात्मक संकेत है।
- मानसून की स्थिति: जून में कमी के बाद जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून (South-West Monsoon) में सुधार हुआ है, जो कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- मुद्रास्फीति का रुझान: मुख्य CPI मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के कारण है, जबकि कोर मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
घरेलू मांग में उछाल	यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उत्पादन तथा सेवाओं में वृद्धि का संकेत है।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधि	यह आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के लिए सकारात्मक संकेत है, जो रोजगार सृजन और आय में वृद्धि में सहायक है।
जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून में सुधार	कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, जो ग्रामीण आय और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करता है।
कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) का स्थिर रहना	यह दर्शाता है कि खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता है, जो मौद्रिक नीति के लिए सकारात्मक है।
तरलता (Liquidity) की स्थिति में सुधार	यह ऋण वृद्धि (Credit Growth) और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।

Feature	Significance
विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि	यह बाहरी क्षेत्र (External Sector) को मजबूत करता है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है और रुपये को स्थिरता प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्व

- RBI बुलेटिन भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो नीति निर्माताओं, निवेशकों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि जैसे सकारात्मक रुझानों को उजागर करता है, जो देश की आर्थिक लचीलापन (Economic Resilience) को दर्शाता है।
- बुलेटिन के निष्कर्ष भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति (Bi-monthly Monetary Policy) तैयार करने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से ब्याज दरों और तरलता प्रबंधन के संबंध में।
- यह सरकार को राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) और संरचनात्मक सुधारों के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, ताकि आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और स्थिरता बनाए रखी जा सके।
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और ऋण उपलब्धता में सुधार से रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की संभावना बढ़ती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

RBI बुलेटिन · मौद्रिक नीति वक्तव्य · उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति · कोर मुद्रास्फीति · तरलता की स्थिति · विदेशी पूंजी प्रवाह · सकल घरेलू उत्पाद (GDP) · दक्षिण-पश्चिम मानसून

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मासिक बुलेटिन, अगस्त 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। 2. घरेलू अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, जिसमें मजबूत घरेलू मांग और बढ़ते विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां

शामिल हैं। 3. जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी दर्ज की गई, जबकि जून में इसमें वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि बुलेटिन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद भू-राजनीतिक और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं का उल्लेख है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि का जिक्र है। कथन 3 गलत है क्योंकि बुलेटिन के अनुसार, जून में कमी के बाद जुलाई में दक्षिण-पश्चिम मानसून में सुधार हुआ था, न कि कमी।

Q2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'कोर मुद्रास्फीति' (Core Inflation) शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?

1. यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य और ईंधन की कीमतों को शामिल करता है।
2. यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से खाद्य और ईंधन की अस्थिर कीमतों को बाहर रखता है।
3. यह केवल थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति दर है।
4. यह केवल सेवा क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि को मापता है।

उत्तर: यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से खाद्य और ईंधन की अस्थिर कीमतों को बाहर रखता है।
— कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से खाद्य और ईंधन की अस्थिर कीमतों को बाहर रखकर मापी जाती है, ताकि मुद्रास्फीति के अंतर्निहित और अधिक स्थायी रुझानों को समझा जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। इस कथन के आलोक में, भारत की आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने में घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण करें। साथ

ही, मुद्रास्फीति प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर भी चर्चा करें।
(15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: यह प्रश्न दो भागों में है। पहले भाग में, भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाते हुए घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण करना है। दूसरे भाग में, मुद्रास्फीति प्रबंधन में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर चर्चा करनी है। भाग 1: भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन और संवृद्धि के कारक ...

Plutus IAS

Economy/Governance



इस खंड की झलक: Economy/Governance

ECONOMY/GOVERNANCE

अमेरिकी वीजा नीति में बदलाव: 'पब्लिक चार्ज' नियम और इसके निहितार्थ



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Marco Rubio, US government (Public domain)

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) • GS Paper II — भारतीय प्रवासियों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव • GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक नीतियों का प्रभाव

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी प्रशासन ने 'पब्लिक चार्ज' (public charge) नियम के तहत वीज़ा आवेदनों की समीक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सभी अप्रवासी वीज़ा

(immigrant visa) नियुक्तियों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस कदम का उद्देश्य उन आवेदकों तक पहुँच को सीमित करना है जो भविष्य में अमेरिकी सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय वीज़ा आवेदकों के व्यापक और सुसंगत मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

याद रखें

'पब्लिक चार्ज' नियम अमेरिकी आब्रजन कानून का एक प्रावधान है जो उन व्यक्तियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकता है जिनके भविष्य में अमेरिकी सार्वजनिक लाभों पर प्राथमिक रूप से निर्भर होने की संभावना है।

मुख्य बिंदु

- 'पब्लिक चार्ज' नियम अमेरिकी आब्रजन कानून का एक हिस्सा है जो उन व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोकता है जिनके भविष्य में सरकार से वित्तीय सहायता पर प्राथमिक रूप से निर्भर होने की संभावना है।
- इस नियम के तहत, अमेरिकी अधिकारी यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति नकद सहायता, खाद्य टिकट, आवास सहायता या अन्य सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकता है।
- इस नीतिगत बदलाव के तहत, अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में निर्धारित साक्षात्कार वाले अप्रवासी वीज़ा आवेदकों को ईमेल प्राप्त हुए हैं कि उनकी नियुक्तियों को पुनर्निर्धारित किया गया है।
- यह कदम अवैध आब्रजन (illegal immigration) पर नकेल कसने और ग्रीन कार्ड (green card) जारी करने वाले नियमों को सख्त करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- H-1B वीज़ा एक गैर-अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह वीज़ा भारतीय और चीनी पेशेवरों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है।

'पब्लिक चार्ज' नियम क्या है?

- 'पब्लिक चार्ज' नियम अमेरिकी आब्रजन कानून का एक प्रावधान है जो उन व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने या स्थायी निवास प्राप्त करने से रोकता है जिनके

भविष्य में अमेरिकी सरकार से वित्तीय सहायता पर प्राथमिक रूप से निर्भर होने की संभावना है।

- इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रवासी अमेरिकी करदाताओं पर बोझ न बनें और वे स्वयं का समर्थन करने में सक्षम हों।
- इस नियम के तहत, आव्रजन अधिकारी आवेदक की आयु, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति, वित्तीय संसाधन, शिक्षा और कौशल जैसे कारकों पर विचार करते हैं।
- कुछ सार्वजनिक लाभ, जैसे कि नकद सहायता (जैसे पूरक सुरक्षा आय - Supplemental Security Income, अस्थायी ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सहायता - Temporary Assistance for Needy Families), खाद्य टिकट (SNAP), और कुछ आवास सहायता कार्यक्रम, 'पब्लिक चार्ज' निर्धारण में विचार किए जाते हैं।
- हालांकि, सभी सार्वजनिक लाभों को 'पब्लिक चार्ज' के रूप में नहीं गिना जाता है। उदाहरण के लिए, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, आपदा राहत, स्कूल लंच कार्यक्रम और कुछ बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आमतौर पर इस नियम के दायरे में नहीं आते हैं।
- इस नियम के तहत, यदि किसी आवेदक को 'पब्लिक चार्ज' होने की संभावना माना जाता है, तो उसे वीज़ा या ग्रीन कार्ड से वंचित किया जा सकता है, जब तक कि वह 'पब्लिक चार्ज बॉन्ड' (public charge bond) पोस्ट न करे या यह साबित न करे कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
वैश्विक वीज़ा नियुक्तियों पर रोक	अमेरिकी सरकार द्वारा आव्रजन (Immigration) नीतियों को सख्त करने का संकेत।
सार्वजनिक प्रभार (Public Charge) नियम	यह सुनिश्चित करना कि वीज़ा आवेदक अमेरिकी सार्वजनिक लाभों पर निर्भर न हों।
वाणिज्य दूतावास अधिकारियों का प्रशिक्षण	वीज़ा आवेदकों का व्यापक और सुसंगत मूल्यांकन करने के लिए।
H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क में वृद्धि	विशेषज्ञ व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों के प्रवेश को हतोत्साहित करने का प्रयास।

विशेषता	महत्व
अवैध आब्रजन पर कार्रवाई	अमेरिकी आब्रजन प्रणाली को विनियमित करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का व्यापक एजेंडा।

चुनौतियाँ

- **आर्थिक संवृद्धि पर प्रभाव** — कुशल श्रमिकों की कमी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नवाचार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
- **मानवाधिकार और मानवीय चिंताएं** — सार्वजनिक प्रभार नियम उन व्यक्तियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, जिससे मानवीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर तनाव** — यह नीति भारत जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, जो कुशल श्रमिकों के आवागमन पर निर्भर करते हैं।
- **प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियाँ** — सार्वजनिक प्रभार की परिभाषा और उसके कार्यान्वयन को लेकर कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

पब्लिक चार्ज नियम · H-1B वीज़ा · अप्रवासी वीज़ा · गैर-अप्रवासी वीज़ा · अमेरिकी विदेश विभाग · वीज़ा प्रतिबंध

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. H-1B वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। 2. 'सार्वजनिक प्रभार' (Public Charge) नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वीज़ा आवेदक अमेरिकी सार्वजनिक लाभों पर निर्भर न हों। 3. संयुक्त राज्य अमेरिका में वीज़ा नीतियों का निर्धारण केवल न्यायिक शाखा द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। H-1B वीज़ा वास्तव में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो तकनीकी और सैद्धांतिक विशेषज्ञता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को अनुमति देता है। कथन 2 सही है। 'सार्वजनिक प्रभार' नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप्रवासी अमेरिका में प्रवेश करने के बाद सरकारी वित्तीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर न हों। कथन 3 गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वीज़ा नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा (Executive Branch) द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य विभाग (State Department) प्रमुख भूमिका निभाता है, हालांकि कांग्रेस कानून बना सकती है और न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) कर सकती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'सार्वजनिक प्रभार' (Public Charge) की सर्वोत्तम व्याख्या करता है जैसा कि अमेरिकी आप्रवासन कानून में उपयोग किया जाता है?

1. एक व्यक्ति जो अमेरिकी सरकार के लिए जासूसी करने की संभावना रखता है।
2. एक व्यक्ति जो प्राथमिक रूप से वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर होने की संभावना रखता है।
3. एक व्यक्ति जो अमेरिकी श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।
4. एक व्यक्ति जो अमेरिकी संस्कृति को आत्मसात करने में विफल रहता है।

उत्तर: एक व्यक्ति जो प्राथमिक रूप से वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर निर्भर होने की संभावना रखता है। — अमेरिकी आप्रवासन अधिकारियों द्वारा 'सार्वजनिक प्रभार' उस व्यक्ति के लिए एक लेबल है जिसके वित्तीय सहायता के लिए मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर होने की संभावना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

वैश्विक आप्रवासन नीतियों में हाल के बदलावों, विशेष रूप से 'सार्वजनिक प्रभार' नियम के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर इसके संभावित प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: वैश्विक आप्रवासन नीतियों में बदलावों का संक्षिप्त परिचय दें, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा 'सार्वजनिक प्रभार' नियम के तहत वीज़ा प्रतिबंधों का उल्लेख करें।
2. 'सार्वजनिक प्रभार' नियम की व्याख्या: इस नियम का अर्थ, उद्देश्य और इसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तृत विवरण दें। बताएं कि यह कैसे वीज़ा आवेदकों ...

ECONOMY/GOVERNANCE

सेमीकंडक्टर पर संभावित अमेरिकी शुल्क: भारत पर प्रभाव और वैश्विक व्यापार चुनौतियाँ



माइंड मैप: सेमीकंडक्टर पर संभावित अमेरिकी शुल्क: भारत पर प्रभाव और

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था

📌 **सेमीकंडक्टर पर संभावित अमेरिकी शुल्क का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, लेकिन यह वैश्विक व्यापार तनाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अमेरिकी प्रशासन सेमीकंडक्टर

(Semiconductor) और संबंधित

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर नए शुल्क (Tariff) लगाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने पर शुल्क राहत देने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह संभावित नीति वैश्विक व्यापार संबंधों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है।

प्रिलिम्स पॉइंटर

सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार हैं, जो स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर सर्वर तक हर चीज में उपयोग होते हैं।

मुख्य बिंदु

- सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार हैं, जो स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर सर्वर तक हर चीज में उपयोग होते हैं।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक जटिल और कुछ प्रमुख एशियाई देशों, विशेषकर ताइवान, पर केंद्रित है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया और आपूर्ति श्रृंखलाओं की भेद्यता को उजागर किया।
- कई देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को 'डी-रिस्क' करने के लिए नीतियां अपना रहे हैं।
- अमेरिका ने पहले भी चीन जैसे देशों पर व्यापार शुल्क लगाए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा है।

टैरिफ (Tariff) क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

- टैरिफ (जिसे सीमा शुल्क भी कहते हैं) किसी देश में आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य आयातित वस्तुओं को महंगा बनाकर घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करना है।
- टैरिफ लगाने से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, हालांकि यह अक्सर इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक उद्योगों की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।
- टैरिफ के परिणामस्वरूप अक्सर आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
- यह व्यापारिक भागीदारों के बीच प्रतिशोधात्मक शुल्क (retaliatory tariffs) को जन्म दे सकता है, जिससे 'व्यापार युद्ध' (Trade War) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
सेमीकंडक्टर पर नए टैरिफ की संभावना	यह कदम अमेरिका में घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है।
टैरिफ में छूट का प्रस्ताव	जो विदेशी कंपनियाँ अमेरिका में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश करेंगी, उन्हें टैरिफ में राहत मिल सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की व्यापक रेंज	प्रस्तावित टैरिफ केवल चिप्स तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और डेटा सेंटर सर्वर जैसे उत्पादों पर भी लागू हो सकते हैं।
घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन	इसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ	ताइवान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम-मुक्त करना एक भू-राजनीतिक प्राथमिकता है।
चरणबद्ध कार्यान्वयन	टैरिफ को धीरे-धीरे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को समायोजन का समय मिल सके।

भारत के लिए महत्व

- यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) होगी।
- टैरिफ के माध्यम से आयातित सेमीकंडक्टर उत्पादों की लागत बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं और उद्योगों पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
- सेमीकंडक्टर विनिर्माण को देश में वापस लाने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए विदेशी निर्भरता कम होगी।
- यह चीन और ताइवान जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अमेरिका की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम कम होंगे।
- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से अनुसंधान और विकास (Research and Development) में निवेश बढ़ेगा, जिससे नई प्रौद्योगिकियों का विकास होगा।

चुनौतियाँ

- **उच्च निवेश और समय** — उन्नत चिप संयंत्रों के निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश और कई साल या दशक लग सकते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता** — अमेरिकी कंपनियाँ अभी भी मलेशिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे प्रमुख एशियाई आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेंगी।
- **उद्योग की चिंताएँ** — अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र पहले से ही उन्नत चिप्स की सीमित आपूर्ति का सामना कर रहा है।
- **वैश्विक व्यापार संबंध** — टैरिफ लगाने से अन्य देशों के साथ व्यापार तनाव बढ़ सकता है, जैसा कि कनाडा के साथ देखा गया है।

आगे की राह

- घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना।
- अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना ताकि अमेरिका अत्याधुनिक चिप प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बना रहे।
- विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए आकर्षक नीतियाँ और टैरिफ राहत प्रदान करना।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

सेमीकंडक्टर · टैरिफ (Tariff) · व्यापार युद्ध · घरेलू विनिर्माण · वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला · संरक्षणवाद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल घटक हैं और इनका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डेटा सेंटर सर्वर जैसे उत्पादों में होता है। 2. ताइवान वैश्विक स्तर पर सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा

रखता है। 3. आयात शुल्क (Tariffs) आमतौर पर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि ताइवान उन्नत सेमीकंडक्टर उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कथन 3 भी सही है क्योंकि आयात शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी उत्पादों को महंगा बनाना है।

Q2. अभिकथन (A): संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर पर नए टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है। कारण (R): इसका उद्देश्य घरेलू चिप विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर पर नए टैरिफ पर विचार करने का उल्लेख है। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है क्योंकि टैरिफ का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के पीछे के आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ऐसे उपाय वैश्विक आपूर्ति

श्रृंखलाओं के विविधीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी हो सकते हैं?
(15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सेमीकंडक्टर के महत्व और हाल ही में उन पर टैरिफ लगाने के विचार का संक्षिप्त परिचय।
2. आर्थिक कारक: घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन (उदाहरण: चिप्स अधिनियम जैसे उपाय)। रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि। व्यापार घाटे को कम करना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देना।
मुद्रास्फीति ...

ECONOMY/GOVERNANCE

बीजा नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन: अमेरिका के प्रस्तावित बीजा निरस्तीकरण का प्रभाव



माइंड मैप: बीजा नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन: अमेरिका के प्रस्ता

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी-संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) ने अमेरिकी प्रशासन से लगभग 2 लाख B1 और B2 बीजा (व्यवसाय और पर्यटन बीजा) को रद्द करने की कथित योजना पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है। ये बीजा उन विदेशी नागरिकों को जारी किए गए थे

याद रखें

अमेरिका द्वारा प्रस्तावित B1/B2 बीजा निरस्तीकरण की योजना, उन व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है जिन्होंने वैध इरादे से बीजा प्राप्त किया था लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण शरण मांगी।

जिन्होंने बाद में अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया था। NAPA ने अमेरिकी सीनेटरों को पत्र लिखकर व्यक्तिगत मामलों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, क्योंकि इस कदम से अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर वीज़ा निरस्तीकरण हो सकता है।

मुख्य बिंदु

- B1 वीज़ा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है, जबकि B2 वीज़ा पर्यटन, परिवार से मिलने या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए होता है।
- रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए उन B1 और B2 वीज़ा को रद्द करने पर विचार कर रहा है, जिनके धारकों ने बाद में अमेरिका में शरण मांगी है।
- NAPA ने इस बात पर जोर दिया है कि वैध इरादे से वीज़ा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अमेरिका में प्रवेश के बाद बदल गईं और उन्होंने शरण मांगी।
- संगठन ने प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि वास्तविक वीज़ा धोखाधड़ी और बदलती परिस्थितियों के कारण शरण मांगने वालों के बीच अंतर किया जा सके।
- इस संभावित कदम से प्रवासी और डायस्पोरा समुदायों में चिंता बढ़ गई है, विशेषकर उन पंजाबी और दक्षिण एशियाई परिवारों में जिनके अमेरिका, भारत और कनाडा के बीच घनिष्ठ पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध हैं।
- वीज़ा निरस्तीकरण का मतलब तत्काल निर्वासन नहीं हो सकता है; शरण के लंबित आवेदनों वाले लोगों को आगंतुक-वीज़ा स्थिति खोने के बावजूद किसी अन्य आब्रजन स्थिति में रखा जा सकता है।

वीज़ा और शरण प्रणाली

- वीज़ा (Visa) एक आधिकारिक अनुमति है जो किसी देश द्वारा विदेशी नागरिक को उसकी सीमा में प्रवेश करने, रहने या पारगमन करने के लिए दी जाती है।
- प्रत्येक देश की अपनी वीज़ा नीतियाँ होती हैं जो यात्रा के उद्देश्य (पर्यटन, व्यवसाय, अध्ययन, कार्य) और अवधि के आधार पर विभिन्न प्रकार के वीज़ा प्रदान करती हैं।

- B1 वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो व्यापार से संबंधित गतिविधियों के लिए अमेरिका आने वाले व्यक्तियों के लिए है, जैसे व्यावसायिक बैठकों में भाग लेना या अनुबंधों पर बातचीत करना।
- B2 वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो पर्यटन, छुट्टियों, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने, चिकित्सा उपचार या सामाजिक आयोजनों में भाग लेने जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका आने वाले व्यक्तियों के लिए है।
- शरण (Asylum) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक सुरक्षा है जो उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो अपने गृह देश में उत्पीड़न या उत्पीड़न के डर के कारण वापस नहीं लौट सकते।
- शरणार्थी (Refugee) स्थिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि उसे नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न का वास्तविक डर है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
वीजा रद्द करने की योजना	अमेरिका द्वारा 2016-2026 के बीच जारी किए गए लगभग 2 लाख B1/B2 वीजा रद्द करने पर विचार।
आश्रय चाहने वाले	उन विदेशी नागरिकों को लक्षित किया जा रहा है जिन्होंने वीजा प्राप्त करने के बाद अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया है।
NAPA की अपील	नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) ने अमेरिकी प्रशासन से निष्पक्ष और व्यक्तिगत समीक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
धोखाधड़ी बनाम बदली हुई परिस्थितियाँ	NAPA का तर्क है कि वास्तविक परिस्थितियों में बदलाव के कारण शरण मांगने वाले को स्वचालित रूप से धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
प्रक्रियात्मक निष्पक्षता	प्रत्येक मामले की अलग से जांच होनी चाहिए और वीजा रद्द करने से तत्काल निर्वासन नहीं होना चाहिए।
प्रवासी समुदायों पर प्रभाव	इस कदम से पंजाबी और दक्षिण एशियाई परिवारों सहित प्रवासी समुदायों में चिंता बढ़ सकती है।

आगे की राह

- अमेरिकी प्रशासन को वीजा रद्द करने की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।
- प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें आवेदक को अपनी परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए।
- धोखाधड़ी के वास्तविक मामलों और उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए जहाँ परिस्थितियाँ अमेरिका में प्रवेश के बाद बदल गई हैं।
- वीजा रद्द करने से तत्काल निर्वासन नहीं होना चाहिए, बल्कि लंबित शरण आवेदनों वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक आप्रवासन स्थिति प्रदान की जानी चाहिए।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बी1 वीजा आमतौर पर पर्यटन और परिवारिक यात्राओं के लिए जारी किया जाता है। 2. बी2 वीजा आमतौर पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। 3. शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को तुरंत निर्वासित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई भी नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। बी1 वीजा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है। कथन 2 गलत है। बी2 वीजा पर्यटन, परिवारिक यात्राओं और चिकित्सा उपचार के लिए होता है। कथन 3 सही है। शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को तुरंत निर्वासित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे एक अलग आब्रजन स्थिति में रखा जा सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन अमेरिकी प्रशासन से वीजा रद्द करने की योजना पर सावधानी बरतने का आग्रह कर रहा है?

1. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)
2. उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA)
3. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)

4. अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता संघ (ACLU)

उत्तर: उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) — उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) ने अमेरिकी प्रशासन से बी1 और बी2 वीजा रद्द करने की कथित योजना पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

अमेरिकी प्रशासन द्वारा बी1 और बी2 वीजा रद्द करने की कथित योजना के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, उन मानवीय और कानूनी विचारों का भी विश्लेषण कीजिए जो ऐसी नीतियों को तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: अमेरिकी प्रशासन द्वारा बी1 और बी2 वीजा रद्द करने की कथित योजना का संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें 2 लाख वीजा रद्द करने की बात और उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन (NAPA) की चिंता का उल्लेख हो।
- निहितार्थों पर चर्चा: a. व्यक्तिगत प्रभाव: उन व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव, जिनकी परिस्थितियाँ अमेरिका ...

International Relations



इस खंड की झलक: International Relations

INTERNATIONAL RELATIONS

प्रधानमंत्री का SCO शिखर सम्मेलन दौरा:
भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क की दृष्टि

SCO Summit Focus

Security

Terror-free region
SCO members

Connectivity

Trade & investment
Digital & energy

Opportunity

Economic growth
Cultural ties

Stability

Regional peace
Strategic partnership

SCO Summit Focus

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

📌 **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है, विशेष रूप से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करके।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत 2017 से SCO का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य SCO के लिए भारत की 'सुरक्षा, संपर्क और अवसर' की दृष्टि को आगे बढ़ाना और आतंकवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना है। यह दौरा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ सभ्यतागत संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु

- भारत 2017 से SCO का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहा है।
- SCO क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद शांति और स्थिरता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं।
- भारत मध्य एशिया के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने का इच्छुक है।
- उज़्बेकिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- प्रधानमंत्री ने ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर का भी दौरा किया, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को दर्शाता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) क्या है?

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है।
- इसका गठन 2001 में शंघाई में हुआ था।

- इसके सदस्य देशों में चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।
- SCO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना है।
- यह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र	क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर (SCO)	भारत के क्षेत्रीय दृष्टिकोण के प्रमुख स्तंभ, जो आर्थिक और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी	भारत की 'विस्तारित पड़ोस' नीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंध	ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना।
द्विपक्षीय बैठकें	SCO सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को गहरा करना और साझा हितों पर चर्चा करना।

भारत के लिए महत्व

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशियाई सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित है।
- भारत की SCO में सक्रिय भागीदारी मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने से भारत की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिल सकता है।
- डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति में सहायता मिलेगी।
- मध्य एशिया के साथ भारत के गहरे सभ्यतागत संबंध हैं, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देते हैं।

चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ** — आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे बने हुए हैं, जो शांति और स्थिरता को बाधित करते हैं।
- **कनेक्टिविटी बाधाएँ** — भौगोलिक बाधाएँ और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा मध्य एशिया के साथ भारत की सीधी कनेक्टिविटी में चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा** — मध्य एशिया में विभिन्न वैश्विक शक्तियों की उपस्थिति भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जो भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना और सूचना साझाकरण तंत्र को बढ़ाना।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाना।
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी विकसित करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) · क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) · मध्य एशिया · भारत-मध्य एशिया संबंध · कनेक्टिविटी परियोजनाएँ · आतंकवाद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पूर्ण सदस्य है। 2. SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। 3. SCO के सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO का पूर्ण सदस्य बना। कथन 2 गलत है। SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। कथन 3 सही है। वर्तमान में SCO के आठ पूर्ण सदस्य देश हैं।

Q2. अभिकथन (A): भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। **कारण (R):** मध्य एशिया भारत के लिए सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। कारण (R) भी सही है क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए भू-रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, विशेषकर सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा कनेक्टिविटी के संदर्भ में। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में भारत की 'सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर' की क्षेत्रीय दृष्टि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत की सदस्यता का संक्षिप्त परिचय।
2. भारत की 'सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर' (SCO) दृष्टि: प्रत्येक घटक (सुरक्षा, कनेक्टिविटी, अवसर) का विस्तृत विवरण और SCO के उद्देश्यों के साथ इसका तालमेल।
 - सुरक्षा: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने पर जोर।
 - कनेक्टिविटी: चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय ...

INTERNATIONAL RELATIONS

चीन-अमेरिका संबंध: चुनौतियाँ और शिखर

सम्मेलन का महत्व



स्रोत: [Wikimedia Commons](#) — Office of the President of the United States (Public domain)

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था

यह खबर चर्चा में क्यों?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आगामी चीन-अमेरिका शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच मौजूदा बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर तनाव जारी है, और उच्च-स्तरीय वार्ताओं के माध्यम से संबंधों को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।

याद रखें

चीन और अमेरिका के बीच आगामी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीतिक मतभेदों के बीच संबंधों को स्थिर करना है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

- चीन और अमेरिका के बीच संबंध हाल के वर्षों में व्यापार असंतुलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानवाधिकारों और भू-राजनीतिक मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं।
- दोनों देशों ने एक-दूसरे के उत्पादों पर लक्षित आर्थिक कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं।
- मई में बीजिंग में हुई पिछली बैठक में दोनों नेताओं ने संबंधों को स्थिर रखने और व्यापार युद्धविराम को बनाए रखने का संकल्प लिया था।

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति को सितंबर में अमेरिका में एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, हालांकि सटीक तारीख अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
- इन शिखर सम्मेलनों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मतभेदों को प्रबंधित करना और सहयोग के क्षेत्रों को खोजना है, ताकि वैश्विक स्थिरता बनी रहे।
- चीन और अमेरिका विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, और उनके संबंध वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

चीन-अमेरिका संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

- व्यापार असंतुलन: अमेरिका का चीन के साथ एक बड़ा व्यापार घाटा है, जिसे वह अनुचित व्यापार प्रथाओं का परिणाम मानता है।
- प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा: दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 5G और सेमीकंडक्टर जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के मुद्दे उत्पन्न हुए हैं।
- भू-राजनीतिक मुद्दे: दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे, ताइवान की स्थिति और मानवाधिकारों के मुद्दे जैसे हांगकांग और शिनजियांग में स्थिति, दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख बिंदु हैं।
- आर्थिक प्रतिबंध: अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि चीन ने भी अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, जिससे आर्थिक संबंध जटिल हुए हैं।
- सैन्य प्रतिद्वंद्विता: प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक हित टकराव का कारण बनते हैं।
- वैश्विक शासन: जलवायु परिवर्तन, महामारी और परमाणु अप्रसार जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के बावजूद, दोनों देश अक्सर वैश्विक संस्थानों और मानदंडों पर भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
उच्च-स्तरीय वार्ताएँ	दोनों देशों के बीच सीधे संवाद और गलतफहमी को दूर करने का अवसर प्रदान करती हैं।
व्यापारिक संबंध	वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं और व्यापारिक तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विशेषता	महत्व
भू-राजनीतिक स्थिरता	अमेरिका और चीन के संबंध वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
तकनीकी प्रतिस्पर्धा	दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रभुत्व की होड़ वैश्विक नवाचार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है।
आपसी मतभेदों का प्रबंधन	टकराव को रोकने और सहयोग के क्षेत्रों को खोजने के लिए आवश्यक है।

भारत के लिए महत्व

- अमेरिका और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। उनके बीच व्यापारिक संबंध वैश्विक आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply Chains) को सीधे प्रभावित करते हैं।
- व्यापार युद्ध (Trade War) या प्रतिबंधों से वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation), निवेश में कमी और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिसका असर भारत सहित अन्य देशों पर भी पड़ता है।
- दोनों देशों के बीच संबंध भू-राजनीतिक स्थिरता (Geopolitical Stability) के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके बीच तनाव से क्षेत्रीय संघर्षों की संभावना बढ़ सकती है और वैश्विक सुरक्षा ढाँचा प्रभावित हो सकता है।
- तकनीकी प्रतिस्पर्धा (Technological Competition) और साइबर सुरक्षा (Cyber Security) जैसे मुद्दे वैश्विक नवाचार (Innovation) और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अमेरिका-चीन संबंधों में सुधार से वैश्विक व्यापार में स्थिरता आ सकती है, जिससे भारत के निर्यात और आयात को लाभ मिल सकता है।

चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन और शुल्क** — अमेरिका और चीन के बीच व्यापार असंतुलन (Trade Imbalance) एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर शुल्क (Tariffs) लगाए हैं।

- **तकनीकी प्रतिस्पर्धा और प्रतिबंध** — दोनों देश तकनीकी प्रभुत्व (Technological Dominance) के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक-दूसरे की कंपनियों पर प्रतिबंध (Sanctions) लगाए जा रहे हैं (जैसे अमेरिकी रोबोट पर चीन का प्रतिबंध और चीनी तकनीक पर अमेरिकी प्रतिबंध)।
- **भू-राजनीतिक मतभेद** — दक्षिण चीन सागर, ताइवान और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहरे भू-राजनीतिक मतभेद हैं।
- **विश्वास की कमी** — लंबे समय से चले आ रहे तनाव और एक-दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण दोनों देशों के बीच सार्थक संवाद और समझौतों तक पहुँचना कठिन हो जाता है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और व्यापार बाधाओं को कम करना है। 2. संरक्षणवाद (Protectionism) मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। 3. चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि WTO का प्राथमिक कार्य व्यापार को उदार बनाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि संरक्षणवाद मुक्त व्यापार के विपरीत है, यह घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए व्यापार बाधाएं लगाता है। कथन 3 सही है क्योंकि चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पैदा किया है।

Q2. अभिकथन (A): चीन और अमेरिका के बीच व्यापार विवादों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कारण (R): इन विवादों के कारण दोनों देशों ने एक-दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि चीन-अमेरिका व्यापार विवादों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और विकास दर में कमी लाई है। कारण (R) भी सत्य है और A की सही व्याख्या है, क्योंकि टैरिफ (Tariff) लगाने से व्यापार लागत बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह बाधित होता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव ने वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है? भारत जैसे देशों के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा करें। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: चीन-अमेरिका व्यापार तनाव की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और इसके वैश्विक प्रभाव का उल्लेख।
- वैश्विक भू-राजनीति पर प्रभाव: शक्ति संतुलन में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (जैसे WTO) की भूमिका पर दबाव, नए गठबंधन और श्रुवीकरण की प्रवृत्ति।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: व्यापार युद्ध, टैरिफ का प्रभाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (Global Supply Chains) ...

INTERNATIONAL RELATIONS

भारत में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन: वैश्विक सहयोग और भारत की भूमिका



माइंड मैप: भारत में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन: वैश्विक सहयोग और भारत

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था

✍ **BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है, और भारत की 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहयोग और भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।**

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के

भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर

सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह भारत की चौथी BRICS अध्यक्षता है, जो 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) की थीम पर केंद्रित है। इस शिखर सम्मेलन में BRICS सदस्य देशों के नेता, साझेदार देश और आउटरीच आमंत्रित लोग वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करेंगे, साथ ही BRICS के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।

प्रीलिम्स पॉइंटर

भारत 1 जनवरी, 2026 को अपनी चौथी BRICS अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है।

मुख्य बिंदु

- भारत 1 जनवरी, 2026 को अपनी चौथी BRICS अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है।
- BRICS की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- भारत ने इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में BRICS की अध्यक्षता की है।
- भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष देश भर के 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- इन बैठकों का उद्देश्य राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, तथा सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के तीन मूलभूत स्तंभों पर BRICS रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- भारत की अध्यक्षता के लिए BRICS का लोगो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है, जिसमें 'नमस्ते' का भाव भारत की गर्मजोशी, सम्मान और सामंजस्यपूर्ण सहयोग की भावना को दर्शाता है।

BRICS क्या है?

- यह विश्व की पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
- BRICS का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना है।
- यह संगठन वैश्विक शासन, व्यापार, वित्त, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करता है।
- BRICS साझेदार देशों में बेलारूस, क्यूबा, बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन	भारत द्वारा चौथी बार BRICS की अध्यक्षता, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
अध्यक्षता का विषय	"लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) - मानवीय दृष्टिकोण और सतत विकास पर जोर।
विस्तारित सदस्यता	BRICS में नए सदस्य देशों (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात) का समावेश संगठन के बढ़ते प्रभाव और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को दर्शाता है।
भारत मंडपम में आयोजन	आधुनिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन।
20 वर्ष पूरे	BRICS के गठन के 20 वर्ष पूरे होने पर संगठन की दीर्घकालिक प्रासंगिकता और सहयोग की सफलता का प्रतीक।

भारत के लिए महत्व

- BRICS देश वैश्विक GDP का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

- सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जो आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति देता है।
- आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने का मंच प्रदान करता है।
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करता है और पश्चिमी प्रभुत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकल्प प्रस्तुत करता है।
- भारत की अध्यक्षता में 350 से अधिक बैठकें और उच्च-स्तरीय जुड़ाव, भारत की कूटनीतिक सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं।

चुनौतियाँ

- **सदस्य देशों के बीच आंतरिक मतभेद** — BRICS के सदस्य देशों के अपने राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं, जिससे सर्वसम्मति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव** — रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक तनाव BRICS देशों के बीच संबंधों को जटिल बना सकते हैं, खासकर जब कुछ सदस्य देश पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत संबंध रखते हों।
- **संस्थागत क्षमता और प्रभावशीलता** — BRICS को अपनी संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करने और वैश्विक शासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- **विस्तार और एकीकरण** — नए सदस्यों के शामिल होने से संगठन की विविधता बढ़ी है, लेकिन इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और समन्वय में भी चुनौतियाँ आ सकती हैं।

आगे की राह

- BRICS देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बाधाओं को कम करना और व्यापार समझौतों को सुदृढ़ करना।
- नई विकास बैंक (NDB) जैसे BRICS संस्थानों को मजबूत करना और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ाना।
- आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझा रणनीतियों और समन्वय को बढ़ाना।
- बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए एकजुट होकर आवाज उठाना, ताकि वे विकासशील देशों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

BRICS · भारत मंडपम · वैश्विक शासन · बहुपक्षवाद · अंतर्राष्ट्रीय संगठन · नई दिल्ली शिखर सम्मेलन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. BRICS की स्थापना को वर्ष 2026 में बीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2. भारत ने BRICS की अध्यक्षता तीन बार (2012, 2016, 2021) की है। 3. BRICS में वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ही सदस्य हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में 2026 BRICS की स्थापना के 20 साल पूरे होने का प्रतीक है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत ने 2012, 2016 और 2021 में तीन बार अध्यक्षता की है, और 2026 में चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है। कथन 3 गलत है क्योंकि BRICS में अब ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

Q2. BRICS के संदर्भ में, 'नई विकास बैंक' (New Development Bank - NDB) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. सदस्य देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करना।
2. BRICS देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।
3. सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
4. आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में समन्वय स्थापित करना।

उत्तर: BRICS देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। — नई विकास बैंक (NDB) BRICS देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य BRICS और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को कैसे आगे बढ़ा सकता है? वैश्विक शासन में BRICS के बढ़ते महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: BRICS का संक्षिप्त परिचय, इसकी स्थापना और भारत की भूमिका।
2. भारत के भू-राजनीतिक हित: BRICS के माध्यम से भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करें, जैसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन, विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
3. भारत के ...

INTERNATIONAL RELATIONS

भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध: एक रणनीतिक

साझेदारी का विश्लेषण



माइंड मैप: भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध: एक रणनीतिक साझेदारी का विश्लेषण

GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध • GS Paper III — अर्थव्यवस्था

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उज़्बेकिस्तान का दो दिवसीय राजकीय दौरा

याद रखें

भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा कर रही है, जो

किया, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करना था। प्रधानमंत्री की यह चौथी उज़्बेकिस्तान यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को दर्शाती है।

'विकसित भारत 2047' और 'उज़्बेकिस्तान-2030' के साझा विकास दृष्टिकोणों...

मुख्य बिंदु

- भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो सिल्क रूट के माध्यम से सदियों पुराने हैं।
- उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- भारत और उज़्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
- दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्च-स्तरीय दौरे नियमित रूप से होते रहे हैं, जिसमें 2018 में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और 2019 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (Vibrant Gujarat Global Summit) में उनकी भागीदारी शामिल है।
- भारत और उज़्बेकिस्तान 'विकसित भारत 2047' और 'उज़्बेकिस्तान-2030' जैसे साझा विकास दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं।

भारत-उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी

- यह साझेदारी दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को दर्शाती है।
- आर्थिक सहयोग में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और संयुक्त परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है।
- रक्षा सहयोग में सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों के आदान-प्रदान के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।
- डिजिटल कनेक्टिविटी (Digital Connectivity) और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग में नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों दोनों में निवेश और विशेषज्ञता साझा करना शामिल है।

- सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध, जैसे कि शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी केंद्र का दौरा, दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हैं।

मूल्य-संवर्धन

Feature	Significance
द्विपक्षीय संबंध	भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना।
उच्च-स्तरीय वार्ता	व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।
सांस्कृतिक संबंध	शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का दौरा, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
बहुपक्षीय मंच	शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना।
विकास दृष्टिकोण	भारत के 'विकसित भारत 2047' और उज़्बेकिस्तान के 'उज़्बेकिस्तान-2030' के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।

भारत के लिए महत्व

- व्यापार और निवेश में वृद्धि से दोनों देशों की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं से व्यापार सुगमता और तकनीकी सहयोग में सुधार होगा।
- मध्य एशिया में भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को मजबूती मिलती है।
- रक्षा सहयोग से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान होगा।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने से दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और सद्भावना बढ़ेगी।

चुनौतियाँ

- **कनेक्टिविटी के मुद्दे** — मध्य एशिया तक सीधी भूमि पहुंच की कमी व्यापार और निवेश के प्रवाह को बाधित करती है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ** — अफगानिस्तान में अस्थिरता और आतंकवाद का खतरा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है।
- **व्यापार असंतुलन** — दोनों देशों के बीच व्यापार की पूरी क्षमता का अभी तक दोहन नहीं हो पाया है।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति देना।
- व्यापार और निवेश समझौतों को सुदृढ़ करना तथा व्यापार बाधाओं को कम करना।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, विशेषकर आतंकवाद विरोधी प्रयासों में।
- ऊर्जा, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध · रणनीतिक साझेदारी · मध्य एशिया · शंघाई सहयोग संगठन (SCO) · वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट · विकसित भारत 2047

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2. उज़्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का संस्थापक सदस्य है। 3. भारत ने 2017 में SCO की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि समाचार रिपोर्ट में भारत-उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख है। कथन 2 सही है क्योंकि उज़्बेकिस्तान SCO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत ने 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशियाई क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?

1. कजाकिस्तान
2. तुर्कमेनिस्तान
3. अज़रबैजान
4. किर्गिस्तान

उत्तर: अज़रबैजान — कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान सभी मध्य एशियाई देश हैं। अज़रबैजान काकेशस क्षेत्र में स्थित है, न कि मध्य एशिया में।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत की 'विस्तारित पड़ोस' नीति में मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के बढ़ते महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत-उज़्बेकिस्तान संबंध इस व्यापक क्षेत्रीय रणनीति में कैसे योगदान करते हैं? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

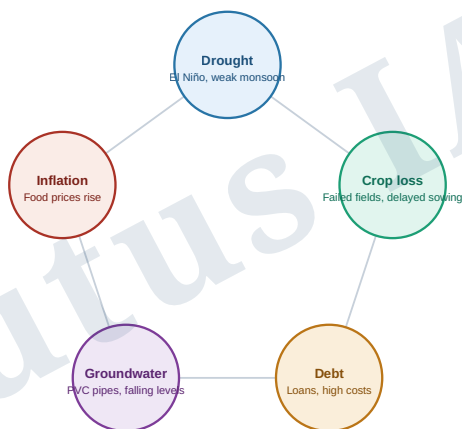
1. परिचय: भारत की 'विस्तारित पड़ोस' नीति का संक्षिप्त परिचय और इसमें मध्य एशिया के महत्व को रेखांकित करना।
2. मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) का महत्व: भू-रणनीतिक स्थिति, ऊर्जा संसाधन, व्यापार गलियारे, सुरक्षा सहयोग (विशेषकर आतंकवाद-रोधी), और क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका पर प्रकाश डालना। चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) जैसी ...

Environment

ENVIRONMENT

आंध्र प्रदेश के किसान: जलवायु अनिश्चितता और वित्तीय जोखिम के बीच चुनौतियाँ

Farmers' crisis loop



Farmers' crisis loop

GS Paper I — भूगोल (भौतिक भूगोल, मानव भूगोल) • GS Paper III — अर्थव्यवस्था (कृषि, सिंचाई, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव), आपदा प्रबंधन • GS Paper II — शासन (सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप)

✍ जलवायु परिवर्तन और अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएँ भारतीय कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं, जिससे किसानों को वित्तीय जोखिम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप...

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के किसान वर्तमान में गंभीर जलवायु अनिश्चितता और बढ़ते वित्तीय जोखिमों का सामना कर रहे हैं। अल नीनो

(El Niño) के कारण मानसून में कमी और सूखे जैसी स्थिति ने कृषि कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बापटला जैसे जिलों में सूखे खेत और पश्चिम गोदावरी में धान के सड़ते खेत इस संकट की भयावहता को दर्शाते हैं। किसानों को बुवाई से पहले सिंचाई के लिए दूर के भूजल स्रोतों से अस्थायी PVC पाइपलाइन बिछाने जैसे उपाय करने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और फसल की पैदावार अनिश्चित बनी हुई है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

अल नीनो एक जटिल मौसम पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ा है और यह वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है।

मुख्य बिंदु

- अल नीनो एक जटिल मौसम पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ा है और यह वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है।
- भारत में, अल नीनो अक्सर कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति से जुड़ा होता है, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की लगभग आधी आबादी को आजीविका प्रदान करता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक बार हो रही हैं।
- किसानों को अक्सर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के लिए ऋण लेना पड़ता है, और फसल खराब होने की स्थिति में वे गहरे कर्ज में डूब जाते हैं।
- सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता भूजल स्तर में गिरावट का कारण बन रही है, जिससे जल संकट और गहरा रहा है।

भारत में कृषि संकट और जलवायु परिवर्तन

- भारत में कृषि संकट एक बहुआयामी समस्या है जिसमें जलवायु परिवर्तन, बाजार की अस्थिरता, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ और ऋणग्रस्तता जैसे कारक शामिल हैं।

- जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो कृषि उत्पादकता को सीधे प्रभावित करती है।
- सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएँ फसलों को नष्ट कर देती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है और वे अक्सर ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।
- कृषि में सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता ने कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को खतरनाक रूप से कम कर दिया है, जिससे जल सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
- सरकारी योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) किसानों को इन जोखिमों से बचाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।
- किसानों को अक्सर संस्थागत ऋण स्रोतों तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिससे वे साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने को मजबूर होते हैं।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
जलवायु अनिश्चितता	किसानों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, जैसे मानसून की कमी और सूखे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है।
वित्तीय जोखिम	फसल न होने या कम उपज के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है।
जल संकट	एल नीनो (El Niño) के प्रभाव से मानसून में कमी आई है, जिससे भूजल स्तर गिर गया है और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो गई है।
बढ़ती खेती लागत	सिंचाई के लिए डीजल-संचालित पंपों का उपयोग और पीवीसी पाइपलाइन बिछाने जैसे उपायों से खेती की लागत में वृद्धि हो रही है।
फसल कवरेज में कमी/देरी	पानी की कमी के कारण किसान या तो बुवाई नहीं कर पा रहे हैं या देर से कर रहे हैं, जिससे फसल चक्र प्रभावित हो रहा है।

चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव** — एल नीनो जैसी घटनाओं के कारण मानसून में अनियमितता और सूखे की बढ़ती आवृत्ति।

- **जल संसाधन प्रबंधन** — भूजल स्तर में गिरावट और सिंचाई के लिए पानी की कमी।
- **किसानों की वित्तीय भेद्यता** — बढ़ती खेती लागत और फसल बीमा कवरेज की अपर्याप्तता।
- **कृषि पद्धतियों में नवाचार की कमी** — जलवायु-लचीली फसलों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने में धीमापन।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

अल नीनो · मानसून · सूखा · फसल बीमा · जलवायु परिवर्तन · कृषि ऋण · भूजल

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अल नीनो प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। 2. भारत में अल नीनो आमतौर पर मानसून की वर्षा को कमजोर करता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 3. ला नीना अल नीनो के विपरीत है और यह भारत में सामान्य से अधिक मानसून वर्षा से जुड़ा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने से संबंधित एक जलवायु घटना है। कथन 2 सही है क्योंकि अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वर्षा में कमी आती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि ला नीना अल नीनो के विपरीत है और यह भारत में मजबूत मानसून और अधिक वर्षा से जुड़ा है।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। 2. इस योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के

लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% की एक समान प्रीमियम दर का भुगतान करना होता है।

3. बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है। कथन 3 सही है क्योंकि बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। आंध्र प्रदेश के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में, इन समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और आवश्यक अतिरिक्त उपायों पर चर्चा कीजिए।

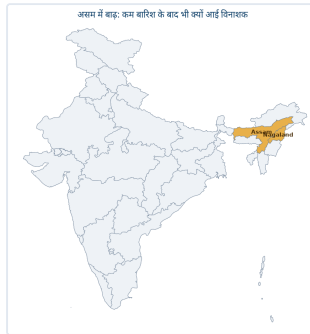
(15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: भारत में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आंध्र प्रदेश की स्थिति का उल्लेख हो।
2. जलवायु परिवर्तन के आयाम: वर्षा पैटर्न में बदलाव: अनियमित मानसून, सूखा (अल नीनो का प्रभाव), बाढ़। तापमान वृद्धि: फसल उत्पादकता पर प्रभाव, कीटों और बीमारियों का प्रकोप। ...

ENVIRONMENT

असम में बाढ़ का बदलता स्वरूप: कम वर्षा के बावजूद गंभीर बाढ़ और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव



असम में बाढ़: कम बारिश के बाद भी क्यों आई विनाशकारी बाढ़?

GS Paper I — भूगोल (भारत का भूगोल, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव) • GS Paper III — आपदा प्रबंधन (बाढ़ प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन), पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जलवायु परिवर्तन)

यह खबर चर्चा में क्यों?

जुलाई माह में असम में सामान्य से लगभग एक तिहाई कम वर्षा होने के बावजूद, राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले छह दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा।

इस विरोधाभासी स्थिति ने जलवायु परिवर्तन

के बढ़ते प्रभावों और बाढ़ के बदलते स्वरूप पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, विशेषकर ऊपरी असम के शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जैसे जिलों में जहाँ पहले इतनी गंभीर बाढ़ नहीं देखी गई थी।

याद रखें

असम में कम वर्षा के बावजूद गंभीर बाढ़ की घटनाएँ जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव और फ्लैश फ्लड के बढ़ते जोखिम को दर्शाती हैं, जिसके लिए तत्काल अनुकूलन और लचीलेपन में निवेश आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

- असम एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण बाढ़ के प्रति संवेदनशील रहा है।
- पारंपरिक रूप से, असम में बाढ़ धीमी गति से जलस्तर बढ़ने के कारण आती थी, जिससे समुदायों को अनुकूलन का समय मिल जाता था।
- हालिया बाढ़ की घटनाएँ दिखाती हैं कि अब अत्यधिक वर्षा पड़ोसी पहाड़ी राज्यों (जैसे नागालैंड) में होती है, जिससे मैदानी इलाकों में अचानक और तीव्र बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आती है।

- वर्ष 2015 से 2024 के बीच, असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण ₹27,925 करोड़ का आधिकारिक रूप से दर्ज नुकसान हुआ है, जिसमें निजी आर्थिक और सामाजिक लागतें शामिल नहीं हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के विभिन्न उत्सर्जन परिदृश्यों के बावजूद, अगले दो दशकों में असम में बाढ़ का जोखिम समान रहने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि वर्तमान में हो चुकी ग्लोबल वार्मिंग ही तात्कालिक जोखिम को निर्धारित कर रही है।
- अनुमान है कि मध्य शताब्दी तक असम में बाढ़ के जोखिम वाला क्षेत्र 32,000 वर्ग किमी से बढ़कर 50,000-60,000 वर्ग किमी तक पहुँच सकता है, और गहरे पानी वाली बाढ़ का अनुपात भी काफी बढ़ जाएगा।

जलवायु परिवर्तन और असम में बाढ़ का बदलता स्वरूप

- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में कम कुल वर्षा के बावजूद अत्यधिक और तीव्र वर्षा की घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- असम में इस वर्ष कम वर्षा के बावजूद आई गंभीर बाढ़ का मुख्य कारण पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई अत्यधिक वर्षा थी, जिससे नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ गया।
- यह 'फ्लैश फ्लड' की घटना पारंपरिक बाढ़ से भिन्न है, क्योंकि इसमें पानी बहुत तेज़ी से आता है और समुदायों को तैयारी का बहुत कम समय मिलता है, जिससे जान-माल का अधिक नुकसान होता है।
- विश्लेषण से पता चलता है कि असम में बाढ़ का जोखिम अगले 20-25 वर्षों तक वर्तमान में हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण बना रहेगा, भले ही आज ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की जाए।
- दीर्घकालिक रूप से, उत्सर्जन में कटौती भविष्य में जलवायु प्रभावों की गंभीरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तात्कालिक चुनौती अनुकूलन और लचीलापन (resilience) में निवेश करना है।
- बाढ़ अनुकूलन और लचीलेपन में निवेश से भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है; अनुमान है कि बाढ़ लचीलेपन पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया 4 से 10 रुपये तक का नुकसान बचा सकता है।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
असामान्य वर्षा पैटर्न	जुलाई में कम वर्षा के बावजूद असम में गंभीर बाढ़, जो जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभावों को दर्शाती है।
पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा	नागालैंड जैसे पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा से असम के मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आना, अंतर-राज्यीय जल प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।
बाढ़ का बढ़ता जोखिम क्षेत्र	मध्य शताब्दी तक असम में बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्र का 32,000 वर्ग किमी से बढ़कर 50,000-60,000 वर्ग किमी होने का अनुमान, जो बड़े पैमाने पर अनुकूलन की आवश्यकता को दर्शाता है।
गहरी बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति	ऐतिहासिक रूप से 36% से बढ़कर 50-60% तक गहरी बाढ़ का जोखिम, जो जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे के लिए अधिक विनाशकारी है।
तत्काल जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता	अगले दो दशकों में उत्सर्जन कटौती के प्रभाव की सीमितता को देखते हुए, असम के लिए बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु लचीलापन (resilience) में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- जलवायु जोखिम के अनुसार योजना बनाना और बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जिसमें सड़कें, पुल और तटबंध शामिल हैं।
- सबसे गरीब परिवारों को बाढ़ के जोखिम से बचाने के लिए विशेष उपाय करना और उनकी आजीविका को सुरक्षित करना।
- बाढ़ के पूर्वानुमान और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना ताकि समुदायों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लिए एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना विकसित करना, जिसमें ऊपरी और निचले जलग्रहण क्षेत्रों के बीच समन्वय शामिल हो।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. असम में हाल की बाढ़ असामान्य रूप से कम वर्षा के बावजूद हुई। 2. ऊपरी असम में अनुभव की गई बाढ़ की प्रकृति अचानक और हिंसक थी, जो सामान्य उथली बाढ़ से भिन्न थी। 3. IPCC उत्सर्जन परिदृश्यों के अनुसार, अगले दो दशकों में असम के बाढ़ जोखिम पर वैश्विक उत्सर्जन में कटौती का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि असम में जुलाई में सामान्य से कम वर्षा हुई थी, फिर भी कुछ हिस्सों में गंभीर बाढ़ आई। कथन 2 सही है क्योंकि ऊपरी असम में अचानक और हिंसक बाढ़ देखी गई, जो सामान्य, धीरे-धीरे बढ़ने वाले पानी से अलग थी। कथन 3 गलत है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो दशकों में असम के बाढ़ जोखिम पर वैश्विक उत्सर्जन में कटौती का बहुत कम अंतर पड़ेगा, क्योंकि यह पहले से हो चुके ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित है।

Q2. असम में बाढ़ के संदर्भ में, 'लचीलापन निर्माण' (Resilience Building) का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है?

1. केवल तटबंधों का निर्माण करना।
2. बाढ़ के बाद तत्काल राहत प्रदान करना।
3. बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जो बाढ़ का सामना कर सके और सबसे गरीब परिवारों की भेद्यता को कम कर सके।
4. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का स्थायी विस्थापन।

उत्तर: बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जो बाढ़ का सामना कर सके और सबसे गरीब परिवारों की भेद्यता को कम कर सके। — लचीलापन निर्माण में जलवायु जोखिम के अनुसार योजना बनाना, बाढ़ का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और सबसे गरीब परिवारों की भेद्यता को कम करना शामिल है, ताकि भविष्य के नुकसान को कम किया जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

जलवायु परिवर्तन के कारण असम में बाढ़ के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए लचीलापन निर्माण में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: असम में बाढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हालिया विरोधाभासी स्थिति (कम वर्षा के बावजूद गंभीर बाढ़) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. बदलते स्वरूप की विवेचना: असामान्य वर्षा पैटर्न: सामान्य से कम वर्षा के बावजूद पड़ोसी राज्यों (जैसे नागालैंड) में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़। बाढ़ की प्रकृति में परिवर्तन: ...

Science & Technology

SCIENCE & TECHNOLOGY

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश: तकनीकी प्रगति बनाम सांस्कृतिक विरासत



माइंड मैप: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश

GS Paper I — भारतीय संस्कृति और विरासत • GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • GS Paper IV — नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य

AI प्रशिक्षण हेतु पुस्तकों का विनाश तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण नैतिक और सांस्कृतिक द्विविधा प्रस्तुत करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनियों द्वारा AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में मानव-लिखित सामग्री प्राप्त

करने हेतु दुर्लभ पुस्तकों को नष्ट करने की खबरें सामने आई हैं। इन कंपनियों द्वारा भौतिक पुस्तकों को थोक में खरीदा जा रहा है, उनके प्रत्येक पृष्ठ को उच्च गति पर स्कैन किया जा रहा है, AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक शब्द निकाला जा रहा है, और फिर मूल प्रतियों को नष्ट किया जा रहा है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

पुस्तकों को सदियों से ज्ञान, संस्कृति और मानवीय अनुभवों का भंडार माना जाता रहा है, जो पीढ़ियों से विचारों और भावनाओं को संरक्षित करती रही हैं।

इस प्रक्रिया ने तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक नैतिक और सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है।

मुख्य बिंदु

- पुस्तकों को सदियों से ज्ञान, संस्कृति और मानवीय अनुभवों का भंडार माना जाता रहा है, जो पीढ़ियों से विचारों और भावनाओं को संरक्षित करती रही हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय, विशेषकर जनरेटिव AI (Generative AI) ने, बड़े डेटासेट की आवश्यकता को जन्म दिया है ताकि ये मॉडल मानव-समान सामग्री उत्पन्न कर सकें।
- AI प्रशिक्षण के लिए आवश्यक डेटा की विशाल मात्रा को पूरा करने हेतु, कंपनियां मौजूदा लिखित सामग्री, जिसमें पुस्तकें भी शामिल हैं, का उपयोग कर रही हैं।
- डिजिटलीकरण (Digitisation) की प्रक्रिया में भौतिक पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से संग्रहीत, एक्सेस और संसाधित किया जा सके।
- हालांकि, पुस्तकों को केवल डेटा स्रोत के रूप में देखना और उनके भौतिक अस्तित्व को नष्ट करना, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक मूल्य पर सवाल उठाता है।
- यह मुद्दा कॉपीराइट (Copyright) कानूनों, डेटा गोपनीयता (Data Privacy) और सांस्कृतिक विरासत के नैतिक संरक्षण से संबंधित व्यापक चिंताओं को भी जन्म देता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसमें सीखना, समस्या-समाधान और निर्णय लेना शामिल है। जनरेटिव AI विशेष रूप से नई सामग्री, जैसे पाठ, चित्र या संगीत बनाने की क्षमता रखता है।
- AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा अक्सर इंटरनेट, पुस्तकालयों और अन्य स्रोतों से एकत्र किया जाता है।
- पुस्तकों का डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक पुस्तकों को स्कैन करके डिजिटल फाइलों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया अनुसंधान, पहुंच और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

- सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) में मूर्त (जैसे कलाकृतियाँ, इमारतें, पुस्तकें) और अमूर्त (जैसे परंपराएँ, भाषाएँ) दोनों प्रकार की वस्तुएँ शामिल हैं जो किसी समाज के इतिहास और पहचान को दर्शाती हैं।
- पुस्तकों का भौतिक अस्तित्व केवल जानकारी का वाहक नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक कलाकृति भी है जो अपने समय और संस्कृति को दर्शाती है।
- इस मुद्दे पर नैतिक दुविधा यह है कि क्या तकनीकी प्रगति के लिए सांस्कृतिक कलाकृतियों का विनाश स्वीकार्य है, भले ही उनकी सामग्री को डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया हो।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
पुस्तकों का डिजिटलीकरण	AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए विशाल डेटासेट उपलब्ध कराना।
दुर्लभ पुस्तकों का उपयोग	ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री को AI प्रशिक्षण में शामिल करना।
भौतिक पुस्तकों का विनाश	डिजिटलीकरण के बाद मूल प्रतियों को नष्ट करना, जिससे सांस्कृतिक विरासत का नुकसान।
जेनेरेटिव AI का उदय	AI की क्षमता में वृद्धि, लेकिन डेटा के लिए पुस्तकों पर अत्यधिक निर्भरता।
नैतिक और कानूनी प्रश्न	डेटा अधिग्रहण की वैधता और नैतिकता पर बहस।

भारत के लिए महत्व

- AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता से AI क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है।
- डिजिटलीकरण से दुर्लभ और प्राचीन ज्ञान तक पहुंच आसान हो सकती है, जिससे शोधकर्ताओं और छात्रों को लाभ मिल सकता है।
- पुस्तकों का विनाश सांस्कृतिक विरासत का अपरिवर्तनीय नुकसान है, क्योंकि भौतिक पुस्तकें केवल जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक कलाकृतियाँ भी हैं।
- पुस्तकों में निहित मानवीय अनुभव, भावनाएं और यादें केवल पाठ्य सामग्री नहीं होतीं, बल्कि वे सभ्यता के विकास का प्रमाण होती हैं।

- कानूनी अनुमति होने के बावजूद, पुस्तकों को 'औद्योगिक फीडस्टॉक' मानना उनके सांस्कृतिक और बौद्धिक मूल्य को कम करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) · जनरेटिव AI · डिजिटलीकरण · सांस्कृतिक विरासत · कॉपीराइट कानून · डेटा गोपनीयता

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल के प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। 2. पुस्तकों को डिजिटल करना उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। 3. AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों को नष्ट करना केवल कानूनी मुद्दा है, नैतिक नहीं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है क्योंकि AI मॉडल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। कथन 2 गलत है क्योंकि डिजिटलीकरण से पुस्तकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त हो सकती है, लेकिन उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को डिजिटल प्रारूप में संरक्षित किया जा सकता है, हालांकि भौतिक वस्तु का महत्व अलग होता है। कथन 3 गलत है क्योंकि AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों को नष्ट करना कानूनी होने के साथ-साथ नैतिक दुविधाएँ भी पैदा करता है, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक संपदा के संबंध में।

Q2. अभिकथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए बड़ी मात्रा में मानव-लिखित सामग्री का उपयोग आवश्यक है। कारण (R): AI मॉडल को प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing) और सामग्री निर्माण में दक्षता प्राप्त करने के लिए विविध पाठ्य डेटा पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि AI मॉडल, विशेष रूप से जनरेटिव AI को, मानव भाषा और ज्ञान को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल पाठ्य डेटा की आवश्यकता होती है। कारण (R) भी सही है और A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि विविध पाठ्य डेटा पर प्रशिक्षण से AI मॉडल की भाषा समझ और सामग्री निर्माण क्षमताएँ बढ़ती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के डिजिटलीकरण और संभावित विनाश से उत्पन्न नैतिक और सांस्कृतिक चिंताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह तकनीकी प्रगति सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है? (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

- परिचय: AI प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों के डिजिटलीकरण और विनाश के हालिया चलन का संक्षिप्त उल्लेख।
- नैतिक चिंताएँ: बौद्धिक संपदा अधिकार, लेखकों के अधिकार, डेटा गोपनीयता, सहमति का अभाव, पुस्तकों को 'कच्चे माल' के रूप में देखना।
- सांस्कृतिक चिंताएँ: भौतिक पुस्तकों का सांस्कृतिक महत्व (इतिहास, भावनाएँ, यादें), दुर्लभ पांडुलिपियों का ...

SCIENCE & TECHNOLOGY

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और लोकतांत्रिक सौदेबाजी पर इसका प्रभाव



माइंड मैप: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और लोकतांत्रिक सौदेबाजी पर इसका

GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय • GS Paper III — अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी वर्जीनिया में एक एआई डेटा सेंटर द्वारा बिजली की खपत में भारी वृद्धि ने स्थानीय निवासियों के बिजली बिलों को दोगुना कर दिया है, जिससे प्रौद्योगिकी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर बहस

छिड़ गई है। यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विस्तार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और यह आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्निहित 'सौदेबाजी' को कैसे प्रभावित कर सकता है, जहाँ शक्तिशाली वर्ग आम लोगों पर अपनी निर्भरता के कारण उनके अधिकारों और दावों का सम्मान करते हैं।

याद रखें

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की बढ़ती शक्ति लोकतांत्रिक सौदेबाजी को कमजोर कर सकती है, क्योंकि यह शक्तिशाली वर्गों की आम लोगों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को कम करती है, जिससे अधिकारों और दावों के सम्मान की पारंपरिक...

मुख्य बिंदु

- आधुनिक लोकतंत्र एक 'सौदेबाजी' पर आधारित है जहाँ शक्तिशाली वर्ग आम लोगों की भागीदारी, समर्थन और सहयोग के बिना समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते।
- ऐतिहासिक रूप से, श्रमिकों, महिलाओं और अन्य आंदोलनों ने अपने अधिकारों को इसलिए जीता क्योंकि राज्य को सेना, कर और बलिदान के लिए आम नागरिकों की आवश्यकता थी।

- औद्योगिक क्रांति के दौरान, हेनरी फोर्ड जैसे उद्योगपतियों ने महसूस किया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यकता होती है, जिससे श्रमिकों को बेहतर मजदूरी मिलती है।
- यह निर्भरता सुनिश्चित करती थी कि अभिजात वर्ग उन लोगों के कल्याण के लिए निवेश करे जिन्हें वे शायद पसंद न करते हों, लेकिन जिनके बिना वे स्वयं भी ठीक नहीं रह सकते थे।
- पिछले कुछ दशकों में, युद्धों में पेशेवरों और ड्रोन का उपयोग बढ़ने तथा स्वचालन (Automation) के कारण अभिजात वर्ग की आम लोगों पर निर्भरता कम हुई है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) इस निर्भरता को और कम करने की क्षमता रखती है, जिससे लोकतांत्रिक सौदेबाजी कमजोर हो सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है और इसका लोकतांत्रिक सौदेबाजी पर क्या प्रभाव है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सीखना, समस्या-समाधान और निर्णय लेना शामिल है।
- लोकतांत्रिक सौदेबाजी (Democratic Bargain) वह सामाजिक अनुबंध है जिसके तहत शक्तिशाली वर्ग आम लोगों के अधिकारों और दावों को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे अपनी समृद्धि और स्थिरता के लिए उन पर निर्भर होते हैं।
- AI की तीव्र प्रगति से कई पारंपरिक नौकरियों के स्वचालन (Automation) का खतरा है, जिससे श्रम बाजार में बड़े पैमाने पर बदलाव आ सकते हैं।
- यदि AI बड़े पैमाने पर श्रमिकों को प्रतिस्थापित करता है, तो अभिजात वर्ग की आम लोगों पर आर्थिक निर्भरता कम हो सकती है, जिससे वे उनके राजनीतिक दावों को अनदेखा करने के लिए अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं।
- एक स्वचालित अर्थव्यवस्था (Automated Economy) में, मांग को निर्यात, सरकारी खरीद, ऋण या सीधे हस्तांतरण (Transfers) के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है, जिससे लोगों को वेतन कमाने और कर देने की आवश्यकता कम हो सकती है।
- यह स्थिति एक ऐसे समाज को जन्म दे सकती है जहाँ अधिकांश लोग ऐसे धन से वजीफा प्राप्त करते हैं जिस पर उनका कोई स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता, जिससे राजनीतिक शक्ति का वितरण असमान हो जाएगा।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
AI डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा खपत	यह ऊर्जा अवसंरचना (Infrastructure) पर दबाव डालता है और स्थानीय समुदायों के लिए बिजली बिल में वृद्धि का कारण बन सकता है।
श्रम बाजार पर AI का प्रभाव	AI कुछ नौकरियों को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे पारंपरिक श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की आवश्यकता कम हो सकती है।
लोकतांत्रिक सौदेबाजी का कमजोर होना	यदि अभिजात वर्ग (Elites) आम लोगों पर कम निर्भर हो जाते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और मोलभाव की शक्ति कम हो सकती है।
सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता	स्वचालित अर्थव्यवस्था में, आय असमानता बढ़ सकती है, जिससे सरकार द्वारा हस्तांतरण (Transfers) या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता होगी।
आर्थिक असमानता में वृद्धि की संभावना	AI-संचालित अर्थव्यवस्था में धन का स्वामित्व और नियंत्रण कुछ ही हाथों में केंद्रित हो सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक असमानता उत्पन्न हो सकती है।

चुनौतियाँ

- **ऊर्जा अवसंरचना पर दबाव** — AI डेटा केंद्रों द्वारा अत्यधिक ऊर्जा खपत से स्थानीय बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है।
- **श्रम बाजार में व्यवधान** — AI कुछ पारंपरिक नौकरियों को स्वचालित कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी या कम-कौशल वाले श्रमिकों के लिए असुरक्षा बढ़ सकती है।
- **लोकतांत्रिक सौदेबाजी का क्षरण** — यदि अभिजात वर्ग आम लोगों की आर्थिक भागीदारी पर कम निर्भर हो जाता है, तो वे उनके अधिकारों और दावों को अनदेखा करने की अधिक संभावना रखते हैं।
- **बढ़ती आर्थिक असमानता** — AI-संचालित अर्थव्यवस्था में धन और शक्ति का संकेंद्रण (Concentration) हो सकता है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के कारण उत्पन्न होने वाली तकनीकी बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ मशीनें मानव श्रम का स्थान ले लेती हैं। 2. हेनरी

फोर्ड का 'फाइव-डॉलर डे' सिद्धांत बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यकता पर आधारित था। 3. आधुनिक लोकतंत्रों में, नागरिकों की राज्य पर निर्भरता कम होने से लोकतांत्रिक सौदेबाजी कमजोर हो सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि तकनीकी बेरोजगारी AI जैसी तकनीकों के कारण होती है जो मानव कार्यों को स्वचालित करती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि फोर्ड ने श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी देकर उपभोग क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना था। कथन 3 सही है क्योंकि यदि अभिजात वर्ग आम लोगों पर कम निर्भर हो जाता है, तो नागरिकों की राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति कम हो सकती है, जिससे लोकतांत्रिक सौदेबाजी कमजोर हो सकती है।

Q2. अभिकथन (A): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उदय अभिजात वर्ग को आम लोगों पर कम निर्भर बना सकता है। कारण (R): AI युद्धों को पेशेवरों और ड्रोन द्वारा लड़ने की अनुमति देता है, और यह बड़े पैमाने पर श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर सकता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि AI के कारण कई कार्यों का स्वचालन अभिजात वर्ग की आम जनता पर आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता को कम कर सकता है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि AI युद्धों में मानव भागीदारी को कम करता है और श्रम बाजार में व्यापक प्रतिस्थापन की संभावना रखता है, जिससे अभिजात वर्ग की निर्भरता कम होती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, यह तर्क दिया जा रहा है कि यह आधुनिक लोकतंत्रों के अंतर्निहित 'लोकतांत्रिक सौदेबाजी' को कमजोर कर सकता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उन नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए जो इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: 'लोकतांत्रिक सौदेबाजी' की अवधारणा को संक्षेप में परिभाषित करें (शक्तिशाली और आम लोगों के बीच आपसी निर्भरता) और AI के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता बताएं।
2. AI द्वारा लोकतांत्रिक सौदेबाजी को कमजोर करने के तर्क: उन तरीकों का विश्लेषण करें जिनसे AI इस सौदेबाजी को कमजोर कर सकता है: क. तकनीकी ...

General Studies

GENERAL STUDIES

सीमा शुल्क: व्यापार सुगमीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव

Customs role shift

Revenue collector	Duty focus Traditional role
Trade facilitator	TFA compliance Modern role
Digital measures	E-sealing E-way bills
Process simplification	Transparency Efficiency
EoDB impact	Cost reduction Competitiveness

Customs role shift

GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। • GS Paper III — उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

📌 सीमा शुल्क विभाग का व्यापार सुगमीकरण की ओर बदलाव भारत में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया

कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग

(Customs Department) ने

पारंपरिक शुल्क संग्रह एजेंसी से वैश्विक व्यापार के एक समर्पित सुगमीकरणकर्ता (facilitator) के रूप में सफलतापूर्वक बदलाव किया है। विभाग द्वारा अपनाए गए उन्नत डिजिटल उपाय और निर्बाध व्यापार प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता इस बदलाव को दर्शाती है, जिससे व्यापारिक वातावरण में दक्षता और पारदर्शिता आई है।

प्रीलिम्स पॉइंटर

सीमा शुल्क विभाग का प्राथमिक कार्य देश की सीमाओं पर वस्तुओं के आयात और निर्यात को विनियमित करना तथा उन पर शुल्क लगाना है।

मुख्य बिंदु

- सीमा शुल्क विभाग का प्राथमिक कार्य देश की सीमाओं पर वस्तुओं के आयात और निर्यात को विनियमित करना तथा उन पर शुल्क लगाना है।
- ऐतिहासिक रूप से, सीमा शुल्क विभाग मुख्य रूप से राजस्व संग्रह और तस्करी रोकने पर केंद्रित रहा है।
- वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (Trade Facilitation Agreement - TFA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने सीमा शुल्क प्रशासन के लिए व्यापार सुगमीकरण की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है।
- भारत में, सरकार ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी शामिल है।
- डिजिटल इंडिया पहल के तहत, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और उन्हें अधिक कुशल तथा पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है।
- व्यापार सुगमीकरण से निर्यातकों और आयातकों के लिए समय और लागत में कमी आती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

सीमा शुल्क में व्यापार सुगमीकरण क्या है?

- व्यापार सुगमीकरण (Trade Facilitation) का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को सरल, आधुनिक और सुसंगत बनाना है। इसका उद्देश्य सीमा पार माल की आवाजाही को तेज और सस्ता बनाना है।
- भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने अब 90% आयात खेपों को 'शून्य हस्तक्षेप' के साथ सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है, जो निर्बाध व्यापार वातावरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ई-सीलिंग प्रक्रिया (e-sealing process) और कंटेनर आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली (e-way bill system) जैसे उन्नत डिजिटल उपाय अपनाए गए हैं। ये उपाय पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, वास्तविक समय में डेटा निगरानी की अनुमति देते हैं, जिससे छेड़छाड़ को रोका जा सकता है और निकासी में तेजी लाई जा सकती है।
- ATA कार्नेट (ATA Carnet) एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दस्तावेज है जिसे 'माल के लिए पासपोर्ट' के रूप में जाना जाता है। यह प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों या पेशेवर उपकरणों के लिए अस्थायी रूप से आयातित वस्तुओं को कई देशों में अलग-अलग सीमा शुल्क घोषणाओं की आवश्यकता के बिना शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है।
- UN TIR प्रणाली (UN TIR system) वाणिज्यिक कार्गो के सुरक्षित और नियमित पारगमन को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सुगम बनाती है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कंटेनरों को मध्यवर्ती पारगमन बिंदुओं पर बार-बार सीमा शुल्क निरीक्षण के अधीन न किया जाए, जिससे व्यापार में तेजी आती है।
- इन उपायों का उद्देश्य व्यापारिक समुदाय को आधुनिक और पारदर्शी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को अधिकतम कर सकें।

मूल्य-संवर्धन

विशेषता	महत्व
व्यापार सुगमीकरण (Trade Facilitation)	सीमा शुल्क विभाग अब केवल शुल्क संग्रहकर्ता के बजाय व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे आयात-निर्यात प्रक्रियाएँ सरल होती हैं।
डिजिटल उपाय	

विशेषता	महत्व
	ई-सीलिंग (e-sealing) और ई-वे बिल (e-way bill) प्रणाली जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और मंजूरी में तेजी लाता है।
कम हस्तक्षेप	लगभग 90% आयात खेपों को बिना किसी हस्तक्षेप के सुगमता से संसाधित किया जाता है, जो घर्षण-रहित व्यापार वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वास्तविक समय डेटा निगरानी	डिजिटल उपायों से वास्तविक समय में डेटा की निगरानी संभव होती है, जिससे छेड़छाड़ को रोका जा सकता है और त्वरित निकासी सुनिश्चित होती है।
ATA कार्नेट (ATA Carnet)	यह वस्तुओं के लिए 'पासपोर्ट' के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रदर्शनियों और पेशेवर उपकरणों के लिए शुल्क-मुक्त अस्थायी आयात की अनुमति मिलती है।
UN TIR प्रणाली	यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्यिक कार्गो के सुरक्षित और नियमित पारगमन को सुगम बनाती है, जिससे मध्यवर्ती बिंदुओं पर बार-बार सीमा शुल्क निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

सीमा शुल्क विभाग · व्यापार सुगमीकरण · ई-सीलिंग प्रक्रिया · ई-वे बिल प्रणाली · ATA कार्नेट · UN TIR प्रणाली · विश्व व्यापार संगठन (WTO) · व्यापार सुविधा समझौता (TFA)

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ATA कार्नेट एक अंतराष्ट्रीय सीमा शुल्क दस्तावेज़ है जो अस्थायी रूप से आयातित वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। 2. UN TIR प्रणाली का उद्देश्य अंतराष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्यिक कार्गो के सुरक्षित और नियमित पारगमन को सुविधाजनक बनाना है। 3. भारत इन दोनों प्रणालियों का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन

4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। ATA कार्नेट और UN TIR प्रणाली दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत इन दोनों प्रणालियों का सदस्य है, इसलिए कथन 3 गलत है।

Q2. कथन (A): सीमा शुल्क विभाग ने पारंपरिक शुल्क संग्रह एजेंसी से व्यापार सुगमीकरण की भूमिका में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। कारण (R): विभाग ई-सीलिंग प्रक्रिया और कंटेनर आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली जैसे उन्नत डिजिटल उपायों को लागू कर रहा है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन A सही है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग ने व्यापार सुगमीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। कारण R भी सही है और यह A की सही व्याख्या है क्योंकि डिजिटल उपाय व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

भारत में सीमा शुल्क विभाग की बदलती भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से व्यापार सुगमीकरण और डिजिटल उपायों के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में ATA कार्नेट और UN TIR प्रणाली के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

सुझावित उत्तर-रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:

1. परिचय: सीमा शुल्क विभाग की पारंपरिक भूमिका (शुल्क संग्रह) से व्यापार सुगमीकरण की ओर परिवर्तन का संक्षिप्त परिचय।
2. सीमा शुल्क विभाग की बदलती भूमिका: व्यापार सुगमीकरण के लिए उठाए गए कदमों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे कि:
 - डिजिटल उपाय (ई-सीलिंग, ई-वे बिल प्रणाली)।
 - रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग और पारदर्शिता ...

मासिक परीक्षा — करंट अफेयर्स

Objective

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद भी इसका औपचारिक सत्रावसान (prorogation) नहीं किया गया है। 2. सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। 3. सत्रावसान का उद्देश्य संसद के अगले सत्र तक के लिए उसके कार्य को स्थगित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भारत के खनिज क्षेत्र के शासन में सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया है। 2. यह विधेयक केवल कोयला खनन तक सीमित है। 3. विधेयक का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का निरसन करता है। 2. विधेयक का उद्देश्य अधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को सरल बनाना है। 3. विधेयक न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के संतुलन को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा। 2. विधेयक का उद्देश्य कुछ विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 3. विधेयक केवल आयकर से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेगा। 2. विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिकीकरण का प्रयास करना है। 3. विधेयक केवल निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) ग्राम सभा की शक्तियों को सशक्त बनाता है। 2. अधिनियम केवल अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। 3. अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

Descriptive

1. 'अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) क्रीमी लेयर मानदंड' से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4))
- न्यायिक सक्रियता एवं संयम के बीच संतुलन बनाते हुए न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण
- CSE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता (परीक्षा प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, निगरानी तंत्र)
- क्रीमी लेयर मानदंडों के पुनर्विलोकन की आवश्यकता एवं इसके सामाजिक न्याय पर प्रभाव

2. 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए, भारत में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संस्थागत एवं विधायी सुधारों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- विधेयक के प्रमुख प्रावधान: कठोर दंड, तकनीकी उपाय, निगरानी तंत्र, एवं शिकायत निवारण
- विधेयक के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास
- विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संस्थागत ढांचे का विश्लेषण (राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियाँ, तकनीकी अवसंरचना, प्रशिक्षण)
- विधेयक के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एवं इसके माध्यम से रोजगार बाजार में विश्वास बहाली
- विधेयक के संवैधानिक वैधता एवं विधायी प्रक्रिया संबंधी चुनौतियाँ

3. 'पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)' के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, आदिवासी स्वशासन एवं सशक्तिकरण की दिशा में इसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

अपेक्षित बिंदु:

- PESA के प्रमुख प्रावधान: ग्राम सभा की शक्तियाँ, भूमि एवं संसाधनों पर नियंत्रण, एवं स्वायत्तता
- विधेयक के कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक एवं राजनीतिक बाधाएँ (राज्य सरकारों का प्रतिरोध, नौकरशाही की उदासीनता)

- PESA के माध्यम से आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय की दिशा में इसकी भूमिका
- विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुधार (राज्य स्तरीय नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, एवं न्यायिक हस्तक्षेप)
- PESA के माध्यम से ग्राम सभा की स्वायत्तता एवं लोकतंत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों का विश्लेषण

AanyaAi द्वारा Plutus IAS के लिए संकलित · plutusias.com

Plutus IAS

Plutus IAS

आपकी सफलता, हमारा संकल्प

पढ़ें। दोहराएँ। अभ्यास करें। हर दिन।

अभी जुड़ें



डेली करंट अफेयर्स के लिए स्कैन करें

रोज़ाना करंट अफेयर्स ऑनलाइन पढ़ें →

plutusias.com/current-affairs

उत्तर कुंजी

Objective

1. **(A)** सभी कथन सही हैं क्योंकि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद भी इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है, सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तथा सत्रावसान का उद्देश्य संसद के अगले सत्र तक के लिए उसके कार्य को स्थगित करना है।
2. **(C)** कथन 1 और 3 सही हैं क्योंकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 भारत के खनिज क्षेत्र के शासन में सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह विधेयक केवल कोयला खनन तक सीमित नहीं है।
3. **(A)** सभी कथन सही हैं क्योंकि अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का निरसन करता है, इसका उद्देश्य अधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को सरल बनाना है, तथा यह न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के संतुलन को प्रभावित करता है।
4. **(C)** कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा तथा इसका उद्देश्य कुछ विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कथन 3 गलत है क्योंकि विधेयक केवल आयकर से संबंधित नहीं है।
5. **(C)** कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लेगा तथा इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिकीकरण का प्रयास करना है। कथन 3 गलत है क्योंकि विधेयक केवल निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होता।
6. **(A)** सभी कथन सही हैं क्योंकि PESA अधिनियम ग्राम सभा की शक्तियों को सशक्त बनाता है, केवल अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, तथा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई है।